

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 140]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 24, 1977/चैत्र 3, 1899

No. 140]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 24, 1977/CHAITRA 3, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

ORDER

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 24th March 1977

EXPORTS (CONTROL) ORDER, 1977

S.O. 254(E)—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order, namely:—

1 Short title and commencement.—(1) This Order may be called the Exports (Control) Order, 1977.

(2) It shall come into force on 1st April, 1977.

2. Definitions.—In this Order, unless the context otherwise requires:—

(a) "Act" means the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947);

(b) "Chief Controller of Imports and Exports" includes Additional Chief Controller of Imports

and Exports, Export Commissioner in the office of the Chief Controller of Imports and Exports, a Joint Chief Controller of Imports and Exports, a Deputy Chief Controller of Imports and Exports, and Controller of Imports and Exports;

(c) "Collector of Customs" has the same meaning as assigned to it in the Customs Act, 1962 (52 of 1962);

(d) "Licence" includes a licensing endorsement made on a shipping bill under this order;

(e) "Licensee" means a person to whom a Licence is granted under this Order,

(f) "Licensing Authority" means an authority competent to grant a licence under this Order;

(g) "Schedule" means a schedule to this Order;

(h) "Value" has the same meaning as in sub-section (1) of Section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962).

3. Restrictions on export of certain goods.—(1) Save as otherwise provided in this Order, no person shall export any goods of the description specified in Schedule I, except under and in accordance with a licence

granted by the Central Government or by an officer specified in Schedule II.

(2) No person shall export to Pakistan any goods except under and in accordance with a licence granted by the Central Government or by an officer specified in Schedule II

(3) Notwithstanding anything contained in sub-clauses (1) and (2) goods specified in Schedule III may be exported on fulfilment of the terms and conditions specified therein.

4 Conditions of licence.—(1) A licence granted under this Order may contain such conditions, not inconsistent with the Act or this Order, as the licensing authority may deem fit

(2) It shall be deemed to be a condition of every licence that—

(a) no person shall transfer and no person shall acquire by transfer any licence issued by the licensing authority except under and in accordance with the written permission of the authority which granted the licence or of any other person empowered in this behalf by such authority;

(b) the goods for the export of which the licence is granted shall be the property of the licensee at the time of the export.

(3) The licensee shall comply with all conditions imposed or deemed to be imposed under this clause.

5 Refusal of licence.—The licensing authority may refuse to grant a licence—

(a) if the application for the licence does not conform to any provision of this Order;

(b) if such application contains any false, or fraudulent or misleading statement;

(c) if the applicant uses in support of the application any document which is false or fabricated or which has been tampered with;

(d) if the licensing authority considers that the grant of the licence will not be in the interest of the country;

(e) if the activities of the applicant are prejudicial to the interest of the State;

(f) if the applicant has, on any occasion committed breach of any law (including any rule, order or regulation) relating to customs or foreign exchange,

(g) if the applicant on any occasion has tampered with an export licence or has exported goods without a licence, or has been a party to any corrupt or fraudulent practice in his commercial dealings or in obtaining any licence or is found to have solicited licences by offering an inducement to the holder of the licence or otherwise;

(h) if any agent or employee of the applicant has been a party to any corrupt or fraudulent practice in obtaining the licence for the applicant;

(i) if the application for an export licence is defective and does not conform to the prescribed rules,

(j) if the applicant contravenes or attempts to contravene or abets the contravention of any order made or deemed to have been made under the Act or any condition of a licence granted under any such order or commits a breach of the Export Trade Control Regulations,

(k) if the applicant is not eligible for a licence in accordance with the Export Control Regulations,

(l) if the licensing authority decides to canalize export through special or specialized agencies or channels;

(m) if the applicant is a partner in a partnership firm, or a director of a private limited company which is for the time being subject to any action under clause 7;

(n) if the applicant is for the time being subject to any action under sub-clause (2) of Clause 7;

(o) if the applicant is a partnership firm or a private limited company, any partner or director whereof, as the case may be, is for the time being subject to any action under clause 7 or clause 8 or clause 9,

(p) if any amount demanded from the applicant under the Customs Act, 1962, or any penalty imposed on him under the said Act has remained unpaid for a period of three months;

(q) if the applicant fails to produce any document that is called for by the Chief Controller of Imports and Exports or the Licensing authority.

6. Amendment of Licence.—The licensing authority may, of its own motion or on application by the licensee, amend any licence granted under this Order in such manner as may be necessary to make such licence conform to the provisions of the Act or this Order or any other law for the time being in force or to rectify any errors or omissions in the licence:

Provided that the licensing authority may on request by the licensee amend the licence in any manner consonant with the Export Trade Control Regulations

7 Power to debar from receiving licences or exporting goods.—(1) The Central Government or the Chief Controller of Imports and Exports may debar a licensee or exporter or any other person from receiving licences or from exporting any goods and direct without prejudice to any other action that may be

taken in this behalf, that no licence shall be granted to him or no permission shall be granted to him for exporting any goods, for a specified period under this Order—

- (a) if his application for licence is at any time found to be not in conformity with any provision of this Order, or
- (b) if such application is found to contain any false, fraudulent or misleading statement, or
- (c) if he is found to have used in support of his application any document which is false or fabricated or which has been tampered with, or
- (d) if he has, on any occasion, tampered with an export licence or has exported goods without a licence or has been a party to any corrupt or fraudulent practice in his commercial dealings or in obtaining a licence, or in exporting any goods, or is found to have solicited any licence by effecting an inducement to the holder of the licence or otherwise; or
- (e) if his agent or employee has been a party to any corrupt or fraudulent practice in obtaining any licence, or in exporting any goods, on his behalf, or
- (f) if he fails to comply with or contravenes or attempts to contravene or abets the contravention of any conditions embodied in, or accompanying a licence or an application for licence, or
- (g) if he commits a breach of any law (including any rule, order or regulation) relating to customs or the import and export of goods or foreign exchange, or
- (h) if he fails to produce any document that is called for by the Chief Controller of Imports and Exports or any other licensing authority.

NOTE.—In this clause, the expression "Application for licence" includes any application made under the Export Trade Control Regulations.

(2) The Central Government or the Chief Controller of Imports and Exports may, by special order in writing,—

- (a) debar—
 - (i) a person in respect of whom an order of detention has been made under the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) hereinafter referred to as the 1974-Act, or
 - (ii) a partnership firm or a private limited company of which such person is a partner or a director, as the case may be, from receiving licences or from exporting any goods; and
- (b) without prejudice to any other action that may be taken against such person, partnership firm or company, direct that no licence or per-

mission for exporting any goods shall be granted to such person, partnership firm or company,

for such period as may be specified in such special order. Provided that such special order shall cease to have effect in respect of such person, or, as the case may be, partnership firm or company of which such person is a partner or a director, when the order of detention made against such person,—

- (i) being an order of detention to which the provisions of section 9 or section 12A of the 1974-Act do not apply has been revoked on the report of the Advisory Board under section 8 of that Act or before a receipt of the report of the Advisory Board or before making a reference to the Advisory Board; or
- (ii) being an order of detention to which the provisions of section 9 of the 1974-Act apply has been revoked before the expiry of the time for, or on the basis of, the review under sub-section (3) of section 9, or on the report of the Advisory Board under section 8, read with sub-section (2) of section 9, of that Act; or
- (iii) being an order of detention to which the provisions of section 12A of the 1974-Act apply has been revoked before the expiry of the time for, or on the basis of, the first review under sub-section (3) of that section, or on the basis of the report of the Advisory Board under section 8, read with sub-section (6) of Section 12A, of that Act, or
- (iv) has been set aside by a court of competent jurisdiction.

8. Power to suspend grant of licences or permission to export goods—The Central Government or the Chief Controller of Imports and Exports may suspend the grant of licences or permission to export goods to a licensee or exporter or any other person, pending investigation into one or more of the allegations mentioned in clause 7 without prejudice to any other action that may be taken in this behalf:

Provided that grant of a licence and permission to export goods shall not ordinarily be suspended under this clause for a period exceeding twelve months:

Provided further that on the withdrawal of such suspension, a licence may be granted to him for the period of suspension subject to such conditions, restrictions or limitations as may be decided by the authority aforesaid keeping in view of the relevant economic factors.

9 Power to keep in abeyance applications for licences for exporting goods—Where any investigation into any of the allegations mentioned in clause 7 is pending against a licensee or exporter or any other person, and the Central Government or the Chief Controller of Imports and Exports is satisfied that without ascertaining

further details in regard to such allegation, the grant of licence or permission to export goods will not be in the public interest then, notwithstanding anything contained in this order, the Central Government or the Chief Controller of Imports and Exports may keep in abeyance any application for grant of licence or permission to export goods of such person without assigning any reason, and without prejudice to any other action that may be taken in this behalf:

Provided that the period for which the grant of such licence or permission to export goods is kept in abeyance under this clause shall not ordinarily exceed six months:

10. Publicity of action taken under clause 7 or 8—

(1) If the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient in the public interest to publish the name of any person or class of persons and other relevant particulars, against whom action under clause 7 or 8 is taken, it may publish or cause to be published, the name of such person or class of persons and such particulars in such manner as it thinks fit.

(2) No publication under sub-clause (1) shall be made in relation to, any such action until the time of presenting an appeal, if any, to the appellate authority has expired without an appeal having been presented or, the appeal, if presented, has been disposed of.

Explanation.—In the case of a firm, company or other association of persons, the names of the partners of the firm, directors, managing agents, secretaries and treasurers or manager of the company, or the members of the association, as the case may be, may also be published if, in the opinion of the Central Government the circumstances of the case justify it.

11. Cancellation of licences—(1) The Central Government or the Chief Controller of Imports and Exports or any other officer authorised in this behalf may cancel any licence granted under this Order or otherwise render it ineffective;—

- (a) if the licence has been granted through inadvertence or mistake or has been obtained by fraud or misrepresentation;
- (b) if the licence has been granted contrary to rules or the provisions of this Order;
- (c) if the licensee has committed a breach of any of the conditions of a licence;
- (d) if the Central Government or such officer is satisfied that the licence will not serve the purpose for which it has been granted;
- (e) if the licensee has committed a breach of any law relating to customs or the rules and regulations relating to the import or export of goods or any law relating to the regulation of foreign exchange;

Provided that notwithstanding anything contained in this Order, the Central Government or the Chief Controller of Imports and Exports or any other officer authorised in this behalf may, if satisfied that it is

expedient so to do in the public interest cancel any licence or render it ineffective without assigning any reason.

(2) The Central Government or the Chief Controller of Imports and Exports or any other officer authorised in this behalf may, by special order in writing, render ineffective any licence granted under this Order to—

- (a) a person, if an order of detention has been made under the 1974-Act in respect of such person; or
- (b) a partnership firm or a private limited company of which such person is a partner or a director, as the case may be.

Provided that such special order shall cease to have effect in respect of such person, or, as the case may be, partnership firm or company of which such person is a partner or a director, when the order of detention made against such person,—

- (i) being an order of detention to which the provisions of section 9 or section 12A of the 1974 Act do not apply has been revoked on the report of the Advisory Board under section 8 of that Act or before a receipt of the report of the Advisory Board or before making a reference to the Advisory Board; or
- (ii) being an order of detention to which the provisions of section 9 of the 1974-Act apply has been revoked before the expiry of the time for, or on the basis of, the review under sub-section (3) of section 9, or on the report of the Advisory Board under section 8, read with sub-section (2) of section 9, of that Act; or
- (iii) being an order of detention to which the provisions of section 12A of the 1974-Act apply has been revoked before the expiry of the time for, or on the basis of, the first review under sub-section (3) of that section, or on the basis of the report of the Advisory Board under section 8, read with sub-section (6) of section 12A, of that Act; or
- (iv) has been set aside by a court of competent jurisdiction.

12 Licensee, etc. to be given opportunity of being heard.—(1) No action shall be taken under clause 6 or clause 7 or clause 8 or clause 11 against a licensee or exporter or any other person unless he has been given a reasonable opportunity of being heard.

(2) Where any person is aggrieved by any action taken under clause 7 or clause 8, he may prefer an appeal against such action to such authority, as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, constitute for the purpose of hearing appeals, within thirty days from the date of the communication of the action taken.

13. Declaration as to value, sort, quality, etc. of exported goods.—On the exportation from any Customs port of any goods, whether liable to duty or not, the

owner or exporter of such goods shall, in the shipping bill, or other relevant document state the value, sort, specification quality and description of such goods to the best of his knowledge and belief, and certify that the quality and specification of the goods, as stated in those documents, are in accordance with the terms of the export contract entered into with the buyer or consignee in pursuance of which the goods are being exported and shall subscribe to a declaration to the truth of such statements at the foot of such shipping Bill or other documents.

14. Prohibition regarding making, signing etc of any declaration, statement or documents—(1) No person shall make, sign or use or cause to be made, signed or used any declaration, statement or document in obtaining a licence, or in exporting any goods knowing or having reason to believe that such declaration, statement or document is false in any material particular.

(2) No person shall employ any corrupt or fraudulent practice in obtaining any licence or in exporting any goods.

15. Savings.—Nothing in this Order shall apply to

- (a) any goods exported by or under the authority of the Central Government,
- (b) any goods covered by executive instructions issued by the Chief Controller of Imports and Exports,
- (c) any goods other than food-stuffs constituting the stores or equipment of any outgoing vessel or conveyance;
- (d) any goods constituting the *bona fide* personal baggage of any person (including a passenger or members of a crew in any outgoing vessel or conveyance) going out of India

Provided that the wild life (dead or alive or part thereof or produce therefrom) specified in Part 'A' of Schedule I shall not be treated as constituting such personal baggage;

- (e) any goods exported by post or by air under the conditions specified in Postal Notice issued by the Postal authorities,
- (f) any goods transhipped at a port in India after having been manifested for such transshipment at the time of despatch from a port outside India;
- (g) any goods imported and bonded on arrival in India for re-export to any country outside India, except Nepal and Bhutan;
- (h) any goods in transit through India by post, or any goods re-directed by post to a destination outside India except Nepal and Bhutan provided that such goods while in India are always in the custody of the postal authorities;
- (i) any goods imported without a valid import licence and exported in accordance with an

order for the export of such goods made by an officer of Customs authorised in this behalf;

- (j) products manufactured in and exported from the Kandla Free Trade Zone.

16. Repeal.—The Exports (Control) Order, 1968 published with the Order of the Government of India in the Ministry of Commerce under SO 927 dated the 8th March, 1968 as amended from time to time is hereby repealed.

Provided that anything done or any action taken including any appointment made or licence issued under any of the provisions of the above Order or Notification, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Order.

SCHEDULE I

(See Clause 3)

COMMODITIES SUBJECT TO EXPORT CONTROL

PART 'A'

Items Export of which is not normally allowed

1. Wild Life (dead or alive or part thereof or produce therefrom) the following —

(a) Mammals:

1. Binturong (*Arctictis binturong*)
2. Black Buck (*Antelope cervicapra*)
3. Blue Whale (*Balaenoptera musculus*)
4. Brow-antlered or Thamin deer (*cervus eldi*)
5. Brown Bear Himalayan (*Ursus arctos*)
6. Chinkara or Indian gazelle (*Gazella Gazella bennetti*)
7. Common Langur (*Presbytis entellus*)
8. Capped Langur (*Presbytis pileatus*)
9. Caracal (*Felis caracal*)
10. Cheetah (*Acinonyx jubatus*)
11. Clouded Leopard (*Neofelis nebulosa*)
12. Crab-eating macaque (*Macaca irus imbroso*)
13. Dugong (*Dugong dugon*)
14. Desert Cat (*Felis libyca*)
15. Desert Fox (*Vulpes bengalensis pusilla*, *V. bengalensis griffithi*)
16. Fishing Cat (*Felis viverrina*)
17. Four horned antelope (*Tetracerus quadricornis*)
18. Flying squirrels (All species of the genus *Hylopetes*, *Petaurista*, *Belomys* and *Eupetaurus*)
19. Guar (*Bos gaurus*)
20. Gangetic Dolphin (*Platanista gangetica*)
21. Golden cat (*Felis temmincki*)

22. Golden Langoor (*Presbytis geel*)
23. Giant squirrels (*Ratufa* sp.)
24. Goral (*Nemorhaedus goral*)
25. Hispid hare (*Caprolagus hispidus*)
26. Hoolock gibbon (*Hylobates hoolock*)
27. Hump-backed whale (*Megapetra nevaeangliae*)
28. Indian Pangolian (*Manis pentadactyla*)
29. Indian Lion (*Panthera leo persica*)
30. Indian Wild Ass (*Equus hemionus khur*)
31. Indian Wolf (*Canis lupus*)
32. Kashmir stag (*Cervus elapaus hanglu*)
33. Leopard or Panther (*Panthera pardus*)
34. Leopard Cat (*Felis bengalensis*)
35. Lesser or Red Panda (*Allurus fulgens*)
36. Lion tailed macaque (*Macaca silenus*)
37. Loris Slender (*Loris tardigradus*)
38. Lynx (*Felis lynx isabellina*)
39. Malabar Civet (*Viverra megaspila civettina*)
40. Malayan sun bear (*Helarctos malaynus*)
41. Marbled Cat (*Felis marmorata*)
42. Markhor (*Capra falconeri*)
43. Musk deer (*Moschus moschiferus*)
44. Mouse deer (*Trogulus meminna*)
45. Nilgiri Langur (*Presbytis johni*)
46. Nayan or Great Tibetan sheep (*Ovis amman hodgsoni*)
47. Otters (*Lutra lutra*, *Introgale perspicillata* and *Aonyx cinerea*)
48. Pallas Cat (*Felis manul*)
49. Pangolin (*Manis crassicaudata*)
50. Pygmy hog (*Sus salvanius*)
51. Pig tailed monkey (*Maaca nemestrina*)
52. Rhinoceros (*Rhinoceros unicornis*)
53. Rusty spotted cat (*Felis rubiginosa*)
54. Slow loris (*Nycticebus coucang*)
55. Snow Leopard (*Panthera uncia*)
56. Spotted Linsang (*Pronoden perdicolor*)
57. Swamp deer (all sub species of *Cervus devau-celli*)
58. Sloth Bear (*Melursus ursinus*)
59. Stump-tailed Macaque (*Macaca speciosa*)

60. Serow (*Capricornis sumatraensis*)
61. Takin (*Budoreas taxicolor*)
62. Tibetan gazelle (*Procapra picticaudata*)
63. Tibetan Wild Ass (*Equus hemionus klang*)
64. Tiger (*Panthera t. tigris*)
65. Tibetan antelope (*Pantholops hodgsoni*)
66. Urial or shapu (*Ovis orientalis*)
67. Wild Buffalo (*Bubalus bulalis*)
68. Wild Yak (*Bos grunniens*)
69. Wild dog (*Cuon alpinus*)
70. Bonnet Monkey (*Macaca radiata*)

(b) **Reptiles—Amphibia:**

1. Agra Monitor Lizard (*Varanus griseus*)
2. Barred oval or yellow monitor lizard (*Varanus flavescens*)
3. Coconut or Robber crab (*Bigrus latro*)
4. Crocodiles (including the estuarine or salt water *Crocodylus porosus* and *C. paulinus*)
5. Gharial (*Gavialis gangeticus*)
6. Green sea Turtle (*Chelonia mydas*)
7. Hawks' bill turtle (*Eretmochelys imbricata*)
8. Himalayan Newt or Salamander (*Tylectrotriton verrucosus*)
9. Indian Pythons (*Python molorus* and *Python reticulatus*)
10. Indian egg eating Snake (*Elachistodon westmanii*)
11. Large Bengal Monitor Lizard (*Varanus bengalensis*)
12. Leathery turtle (*Dermochelys coriacea*)
13. Logger Head turtle (*Caretta caretta*)
14. Olive back loggerhead turtle (*Lepidochelys olivacea*)
15. Snakes, all varieties
16. Spiny tailed lizard or sanda (*Uromastix hardwickii*)
17. Tortoises (*Testudinidae* *Trionychidae*)
18. Water Monitor Lizard (*Varanus salvator*)

(c) **Birds:**

1. Andaman Teal (*Anas gibberifrons albogularis*)
2. Assam Bamboo Partridge (*Bambusicola fytchii*)
3. Blood Pheasant (*Ithaginis Cruentus*)

- 4 Bengal Florican (*Eupoditis Bengalensis*)
- 5 Black necked crane (*Grus nigricollis*)
6. Baza (*Aviceda jerdoni* and *A. leucophotes*)
7. Cheer Pheasant (*Centurus Wallichii*)
8. Chukor Partridge (*Alectoris chukar*)
- 9 Eagles (*Accipitridae*)
- 10 Falcon (*Falconidae*)
11. Golden Eagle (*Aquila chrysaetos*)
12. Great Indian Bustard (*Choriotis nigricaps*)
- 13 Great Indian Hornbill (*Buceros bicornis*)
- 14 Hornbills (*Bucerotidae*)
15. Hawks (*Accipitridae*)
16. Humes Pheasant (*Symaticus humiae*)
17. Hooded crane (*Grus monacha*)
18. Hill Partridge (All species of genus *arborea*)
- 19 Houbara bustard (*Chlamydotis undulata*)
- 20 Indian Hill Myna (*Gracula religiosa*)
- 21 Jerdon's Courser (*Cursorius bitorquatus*)
- 22 Jungle Fowl, red and grey varieties (*Gallus gallus* and *G. Sonneratii*)
23. Lammergeier or Bearded Vulture (*Gypaetus barbatus*)
24. Large Whistling teal (*Anatidae*)
- 25 Large Falcons (*Falco peregrinus*, *F. biarmicus* and *F. chiqueira*)
- 26 Monal Pheasant (*Impeyan*) (*Lophophorus impeyanus*)
27. Mountain Quail (*Ophrysia superciliosa*)
28. Narcondon Hornbill (*Phytoceros undulatus* and *R. narcondensis*)
29. Nukka or Comb duck (*Sarkidiornis melanotos*)
- 30 Nicobar megapode (*Megapodius freycinet*)
- 31 Nicobar Pigeon (*Columba palumboides*)
32. Owl (*Strigiformes*)
- 33 Paradise Flycatcher (*Tchitrea paradisi*)
- 34 Peacock Pheasant (*Polyplecton bibalcaratum*)
35. Peafowl (*Pavo cristatus*) Excluding tail feathers and articles made therefrom
- 36 Pink headed duck (*Rhodonessa Gallopardix*)
- 37 Spur fowl (All species of the genus *Gallopardix*)
- 38 Swans (*Anatidae*)
- 39 Sclater's Monal (*Lophophorus sclateri*)

40. Siberian white crane (*Grus leucogeranus*)
41. Tragopan Pheasants (*Tragopan melanocephalus*, *T. blythii*, *T. Satyra* and *T. Temminckii*)
42. White bellied sea eagle (*Haliaeetus leucogaster*)
43. White care pheasant (*Crossoptilon crossoptilon*)
44. White Winged Wood Duck (*Calina scutulata*)

(d) **Insects.**

1. Butterflies and Moths (*Lepidoptera*)
- 2 Dragon fly (*Odonata*)
- 2 Beef (but excluding meat of Indian Buffalo)
3. (i) Banana Suckers (seedling plants)
- (ii) Cashewnut plants
- (iii) Indian plum plants
- 4 Seaweeds, all types
5. Wheat and wheat flour, including suji and rawa
- 6 Oil Seeds, the following —
 - (i) Castor seed
 - (ii) Cotton seed
 - (iii) Linseed
 - (iv) Sunflower seed
 - (v) Soyabean
7. Coconut, dessicated coconut and copra
- 8 Seeds, other than oil seeds, the following —
 - (i) Cashewnut seeds
 - (ii) Green manure seeds, other than dhanicha and Barseem seeds
 - (iii) Guar seeds (whole)
 - (iv) Jute seeds
 - (v) Lemongrass seeds and roots
 - (vi) Mesta seeds
 - (vii) Pepper cuttings or rooted cuttings of pepper
 - (viii) Pterocarpus Santalinus (Red Sanders) seeds
 - (ix) Rubber seeds
 - (x) Russa grass seeds and tufts
 - (xi) Santalum album (Sandalwood) seeds
 - (xii) Seeds, stems and roots, both dry and green, of all species of *Rauwolfia* including those of *Rauwolfia Serpentina*
 - (xiii) Egyptian clover (Berseem), *Trifolium alexandrinum* Seeds
 - (xiv) Lucerne (Alfalfa) *Medicago sativa* seeds

- (xv) Persian clover (Shaftal) *Trifolium repens* Seeds
- (xvi) Saffron Seeds or Corms (Planting material for Saffron)
9. Chicory roots
10. Diosgenin and *Dioscorea* roots
11. Cinchona seeds and bark
12. Guar Gum having protein content exceeding 9 per cent
13. Gums and resins the following:—
Oleo-resins *ex-pinus longifolia*
14. Sticklac, Kirlac, Molamma, Pasewa, Brood lac and any lac containing living insects
15. Beef Tallow (including tallow of Indian Buffalo)
16. Vegetable oils, the following:—
(i) Castor oil
(ii) Coconut oil
(iii) Cottonseed oil
(iv) Groundnut oil
(v) Linseed oil
(vi) Salad oil
(vii) Sunflower oil
- 17 (i) Frog legs processed during the period from 15th June to 15th August.
(ii) Frog legs of counts smaller than 80 per kg.
- 18 Khandsari Sugar
- 19 Rice Bran, raw and boiled
- 20 (i) Groundnut oilcake (expeller variety)
(ii) Deoiled Groundnut cakes containing more than 1 per cent oil.
21. Linseed expeller cake
22. Minerals, ores and concentrates, the following:—
(i) Beryl, other than gem variety
(ii) Radium ores and concentrates
(iii) Thorium ores and concentrates
(iv) Uranium ores and concentrates
(v) Uranium bearing tailings left over from ores after extraction of copper or gold
(vi) Zircon ores and concentrates including semi-precious variety of zircon stones
(vii) Some other minerals, containing the above substances as accessory ingredients including:—
(a) Columbite
- (b) Monazite
(c) Samerskite
(d) Uraniferous allanite
- ~~(viii) Bismuth ores~~
- (ix) Rutile
(x) Chrome ore and concentrates
(xi) Zinc concentrates
(xii) Vanadium ores and concentrates
(xiii) Vanadium bearing iron ore containing V_2O_5 exceeding 0.2 per cent
(xiv) Tungsten (Wolfram) ores and concentrates.
23. Mica splittings, other than those specified in item 46 of Part B.
- 24 Creosote Oil (light and heavy), coal tar and mixtures containing coal tar.
- 25 Metals and their compounds, the following:—
(i) Beryllium and its compounds
(ii) Lithium and its compounds
(iii) Neptunium and its compounds
(iv) Plutonium and its compounds
(v) Radium and its compounds
(vi) Thorium and its compounds
(vii) Uranium and its compounds
(viii) Zirconium and its compounds
(ix) Iridium, iridosmine and osmiridium
(x) Selenium
(xi) Deuterium compounds
(xii) Mercury
26. (i) Raw Placenta, Placental Blood/Plasma
(ii) Whole human blood/plasma and all products derived from human blood except human Gamma Globulin and Human Serum Albumin manufactured from Human Placenta and Human Placental blood
(iii) Blood grouping sera, the following:—
Anti (RHO) D.
- 27 Chemicals, the following:—
1 Polythylene (LD)
2 Polythylene (HD)
3 Acetone
4 Cyanuric Chloride
5 Ethylene Oxide
6 Isopropyl Alcohol

- 7 Synthetic Rubber
8. Nephthalene
9. Ethylene Glycol
10. Di Ethylene Glycol
11. Polyethylene Glycol
- 12 Methyl Isobutyl Ketone
13. Chloroquine Phosphate
- 14 2-Ethyl Hexanol
28. Fertilizers, all types, including superphosphate
29. Rock Phosphate
30. Cedarwood oil of Non-ISI Specification
31. Geranium Oil
32. Raw hides and skins (except lamb fur skins, raw and pickled)—all types.
33. Wood and Timber, the following:—
1. Dipterocarpus spp. except from Andamans.
 2. Burrs and Stumps of Maple (Acer Spp.).
 - 3 Balsa (Ochroma Legopus).
 - 4 Burrs, stumps, roots and logs containing root or any part thereof of walnut (Juglans regia).
 5. Semul (Bombax malabaricum)
 6. Willow (Salix spp.).
 7. Hollock (Terminalia myriocarpa).
 8. Gamari (Gmelina spp.).
 9. Mulbery (Moras alba).
34. Paper grade pulp including bamboo pulp.
35. Silk Worms
36. Handspun Silk Yarn
37. Angora Goat Hair or Mohair
38. Carpet yarn manufactured from imported wool
39. Wool Waste
- 40 Soft Cotton Waste and Yellow Pickings
41. Metals, the following:—
- (i) Copper—
Electrolytic, fire refined and blister copper in the form of ingots, wire, bars, blooms, slabs, cakes, tiles, bricks, billets, scrap and cathodes.
 - (ii) Nickel, unwrought and nickel pellets
 - (iii) Aluminium unwrought
 - (iv) Magnesium
 - (v) Pig Lead unwrought
 - (vi) Zinc or Spelter unwrought
 - (vii) Tin, unwrought and wrought
 - (viii) Bismuth
 - (ix) Cobalt, unwrought and wrought
 - (x) Molybdenum
 - (xi) Platinum, crude and refined, unwrought
 - (xii) Tungsten
 - (xiii) Vanadium
42. Vintage motor cars and motor cycles and parts and components thereof i.e. motor cars and motor cycles of 1940 and earlier models.

PART 'B'

Items export of which is allowed on merits or subject to ceiling or other conditions to be specified from time-to-time.

1. Mules
 2. Cattle
 - 3 Live Sheep and Goat (including lambs/kids)
 4. Wildlife (dead or alive or part thereof or produce therefrom) the following:—
- (a) Mammals:
1. Andaman wild pig (*Sus scrofa andamanensis*)
 - 2 Barking deer or Muntjac (*Muntiacus muntjac*)
 3. Brushtailed or Bengal porcupine (*Atherurus macrourus*)
 4. Bharal or Blue Sheep (*Pseudois nayaur*)
 - 5 Chital (*Cervus axis*)
 6. Forrest badgers (*Melogale moschata melogale personata*)
 7. Ermine (*Mustela erminea*)
 8. Hares (Black naped, common Indian, Desert, Himalayan Mouse hare)
 9. Hedgehogs (All species of the genus *Hemiechinus* and *Paraechinus*)
 10. Himalayan black bear (*selenarctos thibetanus*)
 - 11 Himalayan crestless porcupine (*Hystrix hodgsoni*)
 12. Himalayan ibex (*Capra ibex*)
 - 13 Himalayan Thar (*Hemitragus janiakius*)
 14. Hog badger (*Arctonyx collaris*)
 15. Hog Deer (*Axis porcinus*)
 - 16 Hyaena (*Hyaena Hyaena*)
 - 17 Leaf Monkey (*Presbytis phayrei*)
 - 18 Marmots (*Marmota bobak* and *Marmota caudata*)
 19. Martens (*Martes gwatkinsi* and *M. flavigula*)
 20. Nilgai or Blue bull (*Boselaphus tragocamelus*)
 - 21 Nilgiri Thar (*Hemitragus hylocrius*)

22. Ratel (*Mellivera capensis*)
23. Red Fox (*Vulpes vulpes*)
24. Sambar (*Cervus unicolor*)
25. Tibetan fox (*Vulpes vulpes mentana*)
26. Tibetan wolf (*Canis lupus*)
27. Weasel (*Mustela sibirica*, *Mustela Kathiah* and *Mustela altaica*)
28. Wild pig (*Sus scrofa*)

(b) **Birds:**

1. Barbets (*Capitonidae*)
2. Barn owl (*Tytonidae*)
3. Blue birds (*Iremidae*)
4. Bunting (*Emberizidae*)
5. Bustard Quail (*Turnicidae*)
6. Chaffinches (*Fringillinae*)
7. Cranes (*Gruidae*)
8. Ducks (*Anatidae*)
9. Egrets (*Bubulus ibis*, *Egretta alba* and *E. Garzetta*, *E. intermedia*)
10. Emerald Dove (*Columbidae*)
11. Finches (*Fringillidae*)
12. Flamingoes (*Phoenicoptoridae*)
13. Flycatchers (*Muscispidae*)
14. Geese (*Anatidae*)
15. Goldfinches and allies (*Carduelinae*)
16. Grouse (*Pterocitidae*)
17. Ioras (*Iranidae*)
18. King Fishers (*Ceryle rudis*, *Alcedo altis Haleymstynensis*)
19. Magapodes (*Megapodiidae*)
20. Orioles (*Oriolidae*)
21. Oystor cathers (*Haemate-podidae*)
22. Pelicans (*Pelecanidae*)
23. Partridges (*Phasianidae*)
24. Pheasants (*Phasianidae*)
25. Pigeons (Except Blue Rock Pigeon) (*Columbidae*)
26. Pitta (*Pittidae*)
27. Quail (*Phasianidae*)
28. Snipe (*Charadriidae*)
29. Sunbirds (*Neotarinidae*)
30. Tragons (*Trogonidae*)
31. Thrushes (*Muscloapidae*)

- (c) 1. Rhesus Monkeys (*Macaca Mulatta*)
2. Peacock Tail Feathers (*Pave Cristatus*)
3. Indian Elephant (*Elephas Maximus*) (including Ivory and products made from Ivory).

(d) **Others:**5. **Live Frogs**

6. Beef (Meat of Indian Buffalo including heart, liver, lungs, brain, tongue, kidneys and other organs of buffalo)

7. **Marine products, the following:—**(i) **Dried and wet salted fish products:—**

1. Dried salted and unsalted fish
2. Dried salted and unsalted prawns
3. Wet salted fish
4. Fish pickles
5. Fish meal and fish guano
6. Fish maws
7. Sharkfins
8. Fish Oil
9. Beach-de-mere—

(ii) **Fresh, live, frozen and canned products:—**

1. Fresh fish
2. Live lobsters, shell fish and fish
3. Frozen fish and prawns
4. Frozen lobster-tails, crabs, frogs and froglegs (not covered by entry No. 17 of Part A)
5. Frozen clams, Oysters etc.
6. Canned fish, prawns, crabs, clams, mussels etc.

(iii) **Other miscellaneous sea-food products:—**

1. Shells
2. Fish Eggs
3. Aquarium fish and plants
4. Cuttle fish bones

(iv) **Other Marine Products:—**

Frogs and froglegs which are processed for exports in units which are engaged essentially for processing marine products for purposes of exports.

8. Dried Fish other than Prawns, Sharkfins, Fish-maws, Beach-De-Mere, Bombay Ducks and other Dried Shell fish.
9. Fish Spawns
10. Pure Milk Ghee
11. Bristles
12. Cuttings and fleshings of hides and skins used as raw materials for the manufacture of animal glue/gelatine.

13. Bones
14. Animal bile, Gallstone, Gorochan
15. Fresh fruits and vegetables
16. Vegetables, the following.—
 - (i) Onions
 - (ii) Potatoes
17. Dry Mushrooms
18. Cardamoms, small and large
19. Chillies dried, in any form other than powder
20. Grains and Flour other than those mentioned in Part 'A'
21. Pulses, Lentils, Grams and Beans and flour made therefrom
22. Malt
23. Oilseeds, the following:—
 - (i) Groundnuts, including HPS variety, both in shell and kernels
 - (ii) Mustard/rape seeds
 - (iii) Sesame Seed
24. Seeds, other than oilseeds, the following:—
 - (i) Green manure seeds of the varieties of Dhanicha
 - (ii) Sun-hemp seeds
 - (iii) Potato seeds
 - (iv) Foodgrain seeds including Wheat Seeds
 - (v) Forestry seeds including tree seeds, hedge seeds and tarwar seeds
 - (vi) Seeds of Ornamental Plants.
25. Nux Vomica Seeds, bark, leaves, roots and powder thereof.
26. Pyrethrum flowers
27. Shellac seedlac, button lac, garnet lac, and all other forms of lac except those mentioned in item No. 14 of Part A
28. Kuth
29. Guar meal and guar churi
30. Wattle Bark
31. Vegetable oils, the following —
 - (i) Mustard oil/rape seed oil
 - (ii) Sesame seed oil
32. Hydrogenated Oil (Vanaspati ghee)
33. Sugar
34. Jaggery (Gur)
35. Molasses
36. Ethyl Alcohol or rectified spirit of any proof degree, whether denatured or not.
37. Mango Juice
38. De-oiled Rice Bran
39. Wheat Bran
40. De-oiled groundnut cake (extractions)
41. (i) Solvent Extracted Cottonseed Cakes—(Decorticated and undercorticated).
 - (ii) Cotton Seeds Expeller Cakes—(Decorticated and undercorticated).
42. Flue-cured Virginia Tobacco, Sun-cured Virginia Tobacco, Sun-cured Natu (Country) Tobacco and Sun-cured Jutty Tobacco.
43. Salt all sorts
44. Cement
45. Minerals, ores and concentrates, the following:—
 - (i) Bauxite
 - (ii) Iron Ores
 - (iii) Copper ores and concentrates
 - (iv) Lead ores and concentrates
 - (v) Manganese ores
 - (vi) Gypsum and anhydrite of gypsum
 - (vii) Barytes (lumps and powder)
 - (viii) Magnesite (raw, dead burnt and calcined)
 - (ix) Kyanite
 - (x) Sillimanite
 - (xi) Wollastonite
46. Mica including Mica splittings of the following varieties:—
 - (1) No. 1 Bookform splittings Quality I and Quality II
 - (2) No. 2 Bookform splittings Quality I and Quality II.
 - (3) No. 3 Bookform splittings Quality I and Quality II (Russian grading 40 and 50 sq. cm.)
 - (4) No. 4 Bookform splitting Quality I and Quality II
 - (5) No. 4½ Bookform splittings (Russian grading 30 sq. cm.) Quality I and Quality II
 - (6) No. 5 Bookform splittings (Russian grading 20 sq. cm.) Quality I and Quality II
 - (7) No. 5½ bookform splittings (Russian grading 10 and 15 sq. cm.) Quality I and Quality II.

- (8) No. 6 Bookform splitting (Russian grading 7 sq. cm.).
- (9) No. 1 Loose splittings dusted or undusted
- (10) No. 2 Loose splittings dusted or undusted
- (11) No. 3 Loose splittings dusted or undusted
- (12) No. 4 Loose splittings dusted or undusted
- (13) No. 4½ Loose splittings dusted or undusted
- (14) No. 5 Loose splittings dusted or undusted
- (15) No. 5½ Loose splittings dusted or undusted
- (16) No. 6 dusted Loose splittings
- (17) No. 6 1st Loose splittings
- (18) No. 6 2nd Loose splittings
- (19) No. 6 3rd Loose splittings
- (20) No. 6 Cheap Loose splittings
- (21) Black dotted or black spotted and phocophite splittings
- (22) (a) Mica scrap and Mica Waste

(b) Mica factory cuttings describing as below:—

- (i) Cuttings obtained in dressing by knife or sickle dressed mica block and thin;
- (ii) Cuttings of Die-punching or guillotine cuttings of block and thin; and
- (iii) Cuttings of Die-punched Condenser Films or of dressing of them by scissors or guillotine.
- (23) No. 4 Top Bookform splittings (7½ sq. inch to 10 sq. inch) Russian Grade 50 Top Bookform splittings (50 sq. cm. to less than 65 sq. cm.).
- (24) No. 5 Top Bookform splittings (2½ sq. inch to less than 5 sq. inch). Russian Grade 15 Top Bookform splittings (15 sq. cm. to less than 20 sq. cm.).

NOTE:—All Bookform Splittings specified in entries No 23 and 24 above shall include (1) Ruby Bookform or Book packed Splittings (2) Ruby clear Bookform or Bookpacked splittings (3) Green Bookform or Book packed splittings and (4) Green Clear Bookform or Bookpacked splittings

- (25) No. 4 Top Loose Splittings dusted or undusted (7½ sq. inch to 10 sq inch) Russian Grade 50 top loose splittings dusted or undusted (50 sq. cm. to less than 65 sq. cm.)

- (26) No. 5½ Top Loose Splittings dusted or undusted (2-1¼ sq inch to less than 3 sq. inch)—Russian Grade 15 Top Loose Splittings dusted or undusted (15 sq. cm. to less than 20 sq. cm.)

(27) No. 6 intermediate or Inter Loose Splittings

NOTE:—All loose splittings specified in entries Nos. 25, 26 and 27 above shall include (1) Ruby Loose Splittings (2) Ruby Clear Loose Splittings (3) Clear Loose Splittings (4) Green Loose Splittings and (5) Green Clear Loose Splittings.

- (28) Indian Block Mica
- (29) Indian Condenser Mica Film.
- (30) Indian Black spotted Bookform Loose Splittings clear loose splittings, and torn Loose splittings
- (31) No. 6 Stained Loose Splittings.

47. (i) Coal and Coke.

(ii) Charcoal, other than ordinary coconut shell charcoal and activated coconut shell charcoal.

48. Mineral Oils, all sorts, including crude oil, Kerosene, fuel oil, lubricating oils, greases, petrol, solvent oils, mineral turpentine, bitumen/asphalt.

49. Chemicals, the following:—

1. Benzene
2. Butyl Alcohol
3. Butyl Acetate
4. Mono Chloro Acetic Acid
5. Toluene
6. Trichloro Ethylene
7. Perchloro Ethylene
8. Tetra Chloro Ethane
9. Phenol
10. Phthalic Anhydride
11. Rubber Chemicals
12. Acetic Acid
13. Soda Ash
14. Acetic Anhydride

50. Quinine, Quinine products and cinchona Alkaloids.

51. Synthetic Musk

52. Lemongrass Oil

53. Sandalwood Oil

54. Sal Oil

55. Exposed cinematographic films (feature and non-feature), except 8 mm and 16 mm non-feature films not exceeding 120 metres in length.

56. P V C Compound

57. Styrene Monomer

- 58 Natural Rubber.
59. All categories of semi-processed hides and skins including E.I. tanned and wet blue hides and skins and crust leather.
60. Wood and Timber other than those mentioned in Item No. 33 of Part 'A'.
61. Writing and printing paper all sorts excluding hand made paper
62. (i) Raw Silk
(ii) Pure Silk Yarn
(iii) Silk waste the following.—
 (a) Non-mulberry silk wastes (tassar, eri and muga) and mulberry pierced cocoons
 (b) Throwster Silk waste
 (c) Mulberry silk waste including cleaned and degummed silk waste of South Indian Origin
 (d) Hard silk waste of South Indian Origin
 (e) Other varieties of silk wastes viz:—
 1. Boiled cocoons
 2. Basin Refuse
 3. Fluff/floss
 4. Flimsy cocoons
 5. Noll and Noll droppings
 6. All other varieties of mulberry silk waste not mentioned elsewhere in Schedule I.
63. Silk worm seeds and silk worm cocoons including reeling cocoons.
64. Man made fibres and yarns, the following:—
 (i) Nylon tyre yarn/cord/fabric
 (ii) (a) Rayon Tyre yarn of 850 deniers and above
 (b) Rayon Tyre Cord of all deniers
 (c) Rayon Tyre Fabric
 (iii) Synthetic blended yarn containing 50 per cent more of synthetic fibre
 (iv) Nylon filament yarn
 (v) Nylon staple fibre
 (vi) Polyester Fibre
 (vii) Polyester Filament yarn
 (viii) Rayon Filament yarn
 (ix) Viscose staple fibre
 (x) Viscose staple fibre spun yarn
 (xi) Any other cellulosic or synthetic fibre or yarn not specified above.
65. Raw Wool (indigenous) except Angora goat hair or Mohair.
66. Yarn, other than carpet yarn, manufactured from imported wool.
- 67 Goat Hair Patties.
- 68 Raw Cotton.
- 69 Cotton Yarn
70. Textiles, the following:—
 (i) Textile cloth and materials thereof of olive green shade excluding pure silk and artificial silk fabrics and materials thereof including hosiery.
 (ii) Tent/tent cloth
 (iii) Handloom striped bedspreads known as "Etawah stripes" except export to U K
 (iv) Handloom cloth of lungi design of non-fast colours (including those having bleeding properties) and garments made therefrom, except export to U. K.
 (v) Exports to U. K of cotton manufactures, whether as piece or made up, including garments but excluding
 (a) Cotton carpets, cotton rugs, cotton durries, cotton shawls; and
 (b) Cotton goods made by hand/handloom covering *inter alia*
 1. Handloom cloth of lungi design of non fast colours including those having bleeding properties and garments made therefrom,
 2. Handloom striped bedspreads known as "Etawah stripes"; and
 3. Handmade cotton nettings
- (vi) Export to U.S.A. of all the 64 I.C.T.A. categories of cotton textiles
- (vii) Export of millmade cotton fabrics and products manufactured out of millmade/handloom fabrics including ready made garments to Austria
- (viii) Export of millmade cotton textiles to West Germany, France, Italy, Belgium, Netherlands, Luxembourg, Denmark and Ireland
- (ix) Export of millmade/handloom cotton blouses, shirts, jackets and bed linen to Sweden
- (x) Export of shirts and blouses and cotton bed linen to Norway
- (xi) Export of mill made/handloom cotton woven blouses and shirts for women, girls and infants and dresses for women and girls to Australia.
- 71 Raw jute, mesta and jute cuttings excluding cad-dies.

72. Coir and Coir products
73. (i) Hand woven woollen carpets of Persian and Mobarik designs upto 32000 knots per sq. metre.
(ii) Hand woven woollen carpets, rugs and druggets, except of Persian and Mobarik designs.
74. Silk carpets and carpets made of synthetic mixed and/or blended fibres.
75. Knitwear (Woollen and mixed).
76. Footwear, all sorts.
77. (i) Silver bullion, silver sheets and plates which have not undergone any process of manufacture subsequent to rolling.
(ii) Silver salts, silver chemicals and compounds with more than 50 per cent silver contents.
(iii) Manufactures and products wholly or mainly of silver with more than 50 per cent silver contents.
78. Silver Coins.
79. Gem variety of Beryl.
80. Iron and Steel, other than cast iron pipes and fittings.
81. Ferro Alloys.
82. Alloy Steels.
83. Ferrous scrap.
84. Aluminium, wrought and aluminium alloys.
85. Non-ferrous metals and alloys, unwrought, not shown elsewhere in this Schedule.
86. Metal Scrap other than ferrous scrap, containing more than 0.50 per cent nickel, or 0.20 per cent molybdenum, or 1.00 per cent tungsten, or 0.20 per cent vanadium or 1.00 per cent cobalt and Mill Scale Scrap
87. Metallurgical residues i.e. drosses; skimming slags, ashes, slimes and flue dust.
88. Railway Wagons.
89. Motor Vehicles and part thereof (excluding old scrap parts), the following:—
(i) Motor vehicles, namely lorries motor omnibuses, vans and chassis for the same.
(ii) Imported motor vehicle parts
(iii) Trucks
(iv) Tractors
(v) Giant size tyres and tubes
90. Aircraft and Parts and accessories thereof.
91. Arms, ammunition and military stores other than sharp-edged weapons viz kukries, kirpans, kris, Hunting knives, swords, etc.

SCHEDULE II

(See Clause 3)

OFFICERS COMPETENT TO GRANT A LICENCE

1. Chief Controller of Imports and Exports.

2. Additional Chief Controller of Imports and Exports.
3. Export Commissioner.
4. A Jt. Chief Controller of Imports and Exports.
5. A Dy. Chief Controller of Imports and Exports.
6. A Controller of Imports and Exports.
7. A Collector of Customs
8. A Superintendent/Assistant Collector of Central Excise.
9. A Superintendent/Deputy Superintendent/Chauki Officer of Customs.
10. Deputy Development Commissioner (Imports and Exports) Santa Cruz, Export Processing Zone, Bombay

SCHEDULE III

(See Clause 3)

OPEN GENERAL LICENCES

O.G.L. No. 1

Any person may export by land to any country adjacent to India and having no seaboard of its own, the following articles provided that they are intended for use of consumption in that country:—

Any goods included in Schedule I which are consigned under a procedure prescribed for regulating transit traffic

O.G.L. No. 2

Any person may export to any country except to a country to which exports is prohibited by any law for the time being in force, the following bonafide samples, namely:—

S.No.	Item	Item No. in Schedule I
(1)	(2)	(3)
Bonafide samples, the following :—		
1.	Samples of handloom fabrics of the variety commonly known as "Bleeding Madras", not exceeding 140 metres in length and the value of which is below Rs. 500.	B. 70 (iv)
2.	Samples of Iron Ore not exceeding 30 metric tonnes at a time provided the consignments are covered by a certificate granted by the following competent authority to the effect that the quantity of Iron Ore (including fines) is required for experimental purposes and that the quantity involved is the minimum required for the particular purposes: (i) Divisional Manager (Sales), MMTC, N. Delhi, for any area other than Goa. (ii) Iron Ore Adviser, Goa, for Goan Iron Ore. (iii) Dy. Secretary, Deptt. of Mines and Metals, N. Delhi for consignments not covered under items (i) and (ii) above	B. 45 (ii)
3.	Samples of all other items of value not exceeding Rs. 300/- excepting the following : (i) Grains, and flour (ii) All items included in part A of Schedule I	B. 27

O.G.L. No. 3

Any person may export to any country except to

(i) Pakistan; and

(ii) a country to which export is prohibited by any law for the time being in force, on fulfilment of the conditions stipulated in Column No. 4 hereunder the following goods.

S. No.	Item	S. No. as in Part 'B' of Schedule I	Condition(s) to be fulfilled/documents to be produced
1	2	3	4
1.	Wild Life (dead or alive or part thereof or produce therefrom) the following :—	B-4	1. Export will be allowed by Registered Exporters of Wild Life and Products only through four major ports of Bombay, Calcutta, Madras and New Delhi.
(a)	<i>Mammals:</i>		
1.	Andaman wild pig (<i>Sus scrofa</i> and <i>menesia</i>)		2. The export will be allowed only on production of a valid certificate issued by the Chief Wild Life Warden of the State concerned or by the Chief Conservator of Forest where Chief Wild Life Warden has not been appointed or the officers who may be authorised by the State Govt. to issue Wild Animals Dealers/manufacturers licences under the Wild Life (Protection) Act, 1972 to the effect that the Wild Life and their products such as skins and feathers etc. tendered for export have been procured through legal means
2.	Barking deer or Muntjac (<i>Muntiacus muntjac</i>).		
3.	Bush-tailed or Bengal porcupine (<i>Atherurus macrourus</i>).		
4.	Bharal or Blue Sheep (<i>Pseudois nayaur</i>).		
5.	Chital (<i>Cervus axis</i>).		
6.	Forret badgers (<i>Melogale moschata melogale personata</i>).		
7.	Ermine (<i>Mustela erminea</i>).		
8.	Hares (Black naped, common Indian, Desert, Himalayan Mouse hare).		
9.	Hedgehogs (All species of the genus <i>Hemiechinus</i> and <i>Paracchinus</i>).		
10.	Himalayan black bear (<i>Selenarctos tibetanus</i>).		
11.	Himalayan crestless porcupine (<i>Hystrimhodgsoni</i>).		
12.	Himalayan ibex (<i>Capra ibex</i>).		
13.	Himalayan Thar (<i>Hemitragus jamlahicus</i>).		
14.	Hog badger (<i>Arctonyx collaris</i>).		
15.	Hog Deer (<i>Axis porcinus</i>).		
16.	Hyaena (<i>Hyaena hyaena</i>).		
17.	Leaf Monkey (<i>Presbytis phayrai</i>).		
18.	Marmots (<i>Marmota bobak</i> and <i>Marmota caudata</i>).		
19.	Martens (<i>Martes gwatkinsi</i> and <i>M. flavigula</i>).		
20.	Nilgai or Blue bull (<i>Boselaphus tragocamelus</i>).		
21.	Nilgiri Thar (<i>Hemitragus hylocrius</i>).		
22.	Ratel (<i>Mellivora capensis</i>).		
23.	Red Fox (<i>Vulpes vulpes</i>).		
24.	Sambar (<i>Carvus unicolor</i>).		
25.	Tibetan fox (<i>Vulpes vulpes montana</i>).		
26.	Tibetan wolf (<i>Canis lupus</i>).		
27.	Weasel (<i>Mustela sibirica</i> , <i>Mustela kathish</i> and <i>Mustela altaica</i>).		
28.	Wild pig (<i>Sus scrofa</i>).		
(b)	<i>Birds:</i>		
1.	Barbets (<i>Capitonidae</i>).		
2.	Barn owl (<i>Tytonidae</i>).		
3.	Blue birds (<i>Irenidae</i>).		
4.	Hunting (<i>Embarizidae</i>).		
5.	Bustard Quail (<i>Turnicidae</i>).		
6.	Chaffinches (<i>Fringillinae</i>).		

1	2	3	4
	7. Cranes (Gruidae). 8. Ducks (Anatidae). 9. Egrets (Bubulas ibis, Egretta alba and E. Garzetta, E. intermedia). 10. Emerald Dove (Columbidae). 11. Finches (Pringillidae). 12. Flamingoes (Phoenicopteridae). 13. Fly catchers (Muscicapidae). 14. Geese (Anatidae). 15. Goldfinches and allies (Carduelinae). 16. Grouse (Pteroclididae). 17. Iores (Iranidae). 18. King Fishers (Ceryle rudis, Alcedo altissima Halcyonastyr-nensis). 19. Magapodes (Megapodidae). 20. Orioles (Oriolidae). 21. Oystercatchers (Haematopodidae). 22. Pelicans (Pelecanidae). 23. Partridges (Phasianidae). 24. Pheasants (Phasianidae). 25. Pigeons (Except Blue Rock Pigeon) (Columbidae). 26. Pitta (Pittidae). 27. Quail (Phasianidae). 28. Snipe (Charadriidae). 29. Sunbirds (Nectarinidae). 30. Trgons (Trogonidae). 31. Thrushes (Muscicapidae). (c) Others : (Wild animals amphibians, mammals, reptiles, birds, B.4(c) insect etc. not specified elsewhere in Schedule I)		
2. Live Frogs	B-5	Export will be allowed by Registered Exporters of Wild Life and Products only through four major ports of Bombay, Calcutta, Madras, and New Delhi. Explanation : A registered exporter of Wild Life and Products means a person who holds a valid Certificate of Registration issued by the Joint Chief Controller of Imports & Exports at Bombay/Calcutta/Madras or New Delhi after July 1973.	
3. Beef (meat of Indian Buffalo including Heart, liver, lungs, Brain, tongue, kidneys and other organs of buffalo).	B-6	On production of recommendation of the Marine Products Export Development Authority, Cochin. Certificates issued by or on behalf of the Director of Veterinary Services of the State from which the meat emanates for export to the effect that the consignment for export is of buffalo meat only.	

1	2	3	4
4.	Marine products, the following :	B-7	
	(i) <i>Dried and wet salted fish products</i>		
	1. Dried salted and unsalted fish,		
	2. Dried salted and unsalted prawns		
	3. Wet salted fish		
	4. Fish pickles		
	5. Fish meal and fish guano		
	6. Fish maws		
	7. Sharkfins		
	8. Fish Oil		
	9. Beach-de-mere		
	(ii) <i>Fresh, live, Frozen and Canned products</i>		
	1. Fresh fish		
	2. Live labators, shell fish and fish		
	3. Frozen fish and prawns		
	4. Frozen lobster tails, crabs frogs and froglegs (not covered by entry No. 17 of Part A)		
	5. Frozen clams, Oysters etc.		
	6. Canned fish, prawns, crabs, clams mussels etc.		
	(iii) <i>Other miscellaneous sea-food products</i>		
	1. Shells		
	2. Fish eggs.		
	3. Aquarium fish and plants		
	4. Cuttle Fish bones.		
	(iv) <i>Other Marine Products</i>		
	Frogs and froglegs which are processed for export in units which are engaged essentially for pro- cessing marine products for purposes of exports.		
5.	Bristles	B-11	
6.	Animal Bile, Gall stone, Gorochan	B-14	
7.	Fresh Fruits and vegetables other than Onions and Po- tatoes	B-15	
8.	Dry Mushrooms	B-17	
9.	Cardamoms (Small).	B-18	
			Export will be allowed only on the basis of firm orders/contract with pre-fixed prices and on out-right sale basis
			Exports allowed to all permissible destinations except to countries having a common land frontier with India.
			Export will be allowed only if : (a) irrevocable letter of credit has been opened by the foreign buyer covering 100% f.o.b value of the consignment or (b) advance payment has been received, provided that (i) the advance payment has been received against a specific export order and covers 100% f.o.b. value of the consi- gnment and (ii) advance payment has been received through an authorised dealer in foreign exchange
			Exports allowed to all permissible destinations except to countries having a common land frontier with India.
			1. Export allowed to all permissible destinations except to countries having a common land frontier with India, and

1	2	3	4
			2. Export allowed only if irrevocable letter of credit has been opened by foreign buyers,
			or
			against advance payment received from the foreign buyer provided: (i) the advance payment is received against specific order(s), and (ii) the advance payment is received through authorised dealers in foreign exchange.
10	Chillies dried, in any form other than powder	B-19]	1. Pre-shipment inspection and quality control certificate. 2. Letter of Credit.
11.	Foodgrain seeds including wheat seeds	B-24(iv)	Quality Control Certificate from National Seeds Corporation.
12.	Forestry seeds including tree seeds, hedge seeds and tarwar seeds.	B-24(v)	1. Export will be allowed on production of a certificate from an officer not below the rank of Deputy Conservator of Forest, Divisional Forest Officer to the effect that the seeds have been lawfully collected and are surplus to the requirement of the State. 2. For seeds collected from outside the forests limits export will be allowed on production of a clearance certificate from the concerned Department of the State Government.
13.	Hydrogenated oil (Vanaspati Ghee)	B-32	Export would be freely allowed till such times Import Replenishment licences are admissible under item Y.2 of Section II of Import Trade Control Policy, Vol.II
14	Mango Juice	B-37	Export prices not less than the price announced by the Central Government.
15	Flue-cured Virginia Tobacco, Sun-cured virginia Tobacco, Sun-cured (Natu-Country) Tobacco and Sun-cured Jutty Tobacco.	B-42	Certificate from Tobacco Board to the effect that the prices at which the export is being made are not lower than the minimum prices announced by the Central Govt.
16.	(i) Bauxite with alumina content less than 40%, and (ii) Bauxite with alumina content between 40% and 50% but with silica content exceeding 5%	B-45 (i)(a) } Do. }	Certificate from a recognised Public Analyst regarding Alumina and Silica content.
17.	Gypsum with purity below 80%	B-45 (vi)(ii)	—
18.	Magnesite	B-45(viii)	Export of Calcined Magnesite with a silica content of 9% and above alone shall be allowed on production of a certificate from Export Inspection Agency that silica content in calcined Magnesite is not below 9%
19.	Processed Mica Powder, Flakes; Mica Products viz. Fabricated Mica, Components, Micanite or Built-up Mica and Micanite Electrical insulation products.	B-46	Export price is not less than the price announced by the Central Govt. from time to time.
20	Carbonised lignite briquettes (Loco)	B-47(i)	Export allowed only from Calcutta and Shillong against allocations made by Coal Commissioner.
21.	Synthetic Musk	B-51	1. Export allowed to all permissible destinations except to countries having a common land frontier with India. 2. On furnishing declaration to the effect that the commodity to be exported is "Synthetic Musk" and does not contain Deer Musk and is prominently labelled as "Synthetic Musk".
22.	Sandal Wood Oil	B-53	1. Export allowed to all permissible destinations except to countries having a common land frontier with India.

1	2	3	4
23.	Sal Oil	B-54	The f.o.b. price per metric tonnes is not less than Rs. 12,000/-
24.	Documentary cinema to graphic films, except 8 mm and 16 mm non feature films not exceeding 120 metres in length.	B-55	For all exhibition only.
25.	Advertisement Cinema to graphic films, except 8 mm and 16 mm non-feature films not exceeding 120 metres in length.	B-55	—
26.	Throwster Silk Waste	B 62(iii) (b)	—
27.	Hard Silk Waste of South Indian origin	B 62(iii) (d)	1. Certificate from Govt. Spun Mills at Channapatna (Karnataka), Jaggi Road (Assam) or Bhagalpur (Bihar) that the material intended for export is hard waste. 2. Pre-shipment inspection certificate by the Central Silk Board.
28.	Other varieties of silk wastes, viz.	B 62(iii) (e)	Pre-shipment inspection certificate by the Central Silk Board.
	1. Baled cocoons.		
	2. Basin refuse.		
	3. Fluff/floss.		
	4. Flimsy cocoons.		
	5. Nul and Nul droppings.		
	6. All other varieties of mulberry silk waste not mentioned elsewhere in Schedule I.		
29.	Mah-made fibre and yarns, the followings :—		
	(i) Nylon Tyre/cord/fabric	B. 64(i)	} Export will be allowed on the authorisation issued by Silk and Rayon Textile Export Promotion Council, Bombay.
	(ii) (a) Rayon tyre yarn of 850 deniers and above	B. 64(ii)(a)	
	(b) Rayon tyre cord of all deniers	B. 64(ii)(b)	
	(c) Rayon Tyre Fabric	B. 64(ii)(c)	
	(iii) Synthetic blended yarn containing 50% or more of synthetic fibre.	B. 64(iii)	
30.	Yarn, other than carpet yarn, manufactured from imported wool.	B-66	Against contract for export approved by and registered with the wool and Woolens Export promotion Council.
31.	Raw cotton—Bengal Deshi	B-68	1. Against registration and allocation certificate issued by the Textile Commissioner. 2. Certificate regarding quality/ quantity of the raw cotton intended for export issued by Textile Commissioner's Appeal Committee.
32.	Raw Cotton—Miscellaneous Fibres :		1. Original Sale Contract.
	(i) Assam	} B-68	2. Adhoc certificate issued by Textile Commissioner's Appeal Committee regarding quality/quantity intended for export.
	(ii) Comillas,		
	(iii) Cotton discoloured by damage due to fire, water,		
	(iv) Zodo, and sweepings,		
	(v) others.		
33.	Cotton Yarn	B-69	(1) Against authorisations issued by cotton Textile Export Promotion Council Bombay in respect of contracts registered with them. 2. Exports to Burma, Libya, Bangladesh, Ceylon and U.A.R. shall be allowed against authorisation issued by Cotton Textile Export Promotion Council subject to prices stipulated by them.

1	2	3	4
34. Handloom striped bedspreads known as "Etawah B-70(iii) stripes" except exports to UK.			A certificate from the C.T.F.C. (Cotton Textiles Fund Committee) or under the quality marking scheme of UP Govt. to the effect that the goods desired to be exported conform to the standard prescribed for the purpose.
35. Handloom cloth of lungi design of non fast colours (including those having bleeding properties) and garments made therefrom, except to UK. (a) Handlooms fabrics of the variety commonly known as "Bleeding Madras". (b) Garments made out of Bleeding Madras. (c) Varieties other than Bleeding Madras/garments made out of bleeding Madras.	B 70(iv)		Pre-shipment inspection by the Textile Committee.
36. Exports to U.K. of cotton Manufacturers whether as piece or made up, including garments, but excluding: (a) cotton carpets, cotton rugs, cotton durries, cotton shawls, and (b) Cotton goods made by hand/handloom covering <i>inter alia</i> :— (1) Handloom cloth of lungi design of non fast colours (including those having bleeding properties) and garments made therefrom. (2) Handloom striped bed spreads known as Etawah stripes, and (3) Hand made cotton nettings.	B. 70(v)		Against quota allotted by the Cotton Textile Export Promotion Council, Bombay or its authorised up-country representative, by endorsement on shipping bills.
37. Export to USA of all the 64 Indian Cotton Textile Agreement (I.C.T.A.) categories of cotton textiles.	B. 70(vi)		1. Against quotas allotted by the Cotton Textile Export Promotion Council or its authorised up-country representatives by endorsement on shipping bills. 2. Visa from issuing authorities <i>viz.</i> (i) Cotton Textiles Export Promotion Council Bombay or its upcountry representatives for Millmade Cotton Textiles made up articles and ready made garments. (ii) The Textile Committee for handloom fabrics products including ready made garments. (iii) All India Handicrafts Board or Textile Committee for "India" items. 3. In the case of items exempted from quantitative restrictions like handloom fabrics, Handloom made up articles including ready made garments and "India" item certificate from the Textile Committee for Handloom fabrics, Handloom products, handloom garment and Textile Committee or All India Handicrafts Board for "India" items in addition to-vis shall be required.
38. Export of mill made cotton fabrics and products manufactured out of mill made/handloom fabrics including readymade garments to Austria.	B. 70(vii)		1. Against quotas allotted by the Cotton Textile Export Promotion Council Bombay or its authorised upcountry representatives by endorsement on shipping bills. 2. Export of Handloom Fabrics is allowed without any quota restrictions on the basis of certificates showing handloom origin from the Textile Committee.
39. Export of Millmade cotton textiles to West Germany, France, Italy, Belgium, Netherlands, Luxembourg, Denmark and Ireland.	B. 70(viii)		Against quotas allotted by the Cotton Textiles Export Promotion Council Bombay or its authorised up-country representatives by endorsement on shipping bills.

I	2	3	4
40.	Export of Millmade handloom cotton blouses, shirts, jackets and bed linen to Sweden.	B. 70(ix)	Against quotas allowed by the Cotton Textiles export promotion Council, Bombay or its authorised up country representatives by endt. on shipping bill.
41.	Export of shirts, blouses and cotton bed linen to Norway	B. 70(x)]	1. Against quotas allotted by the Cotton Textile Export Promotion Council, Bombay or its authorised up country representatives by endorsement on shipping bills except for cotton handloom shirts and blouse. 2. Cotton Handloom shirts and blouses, against handloom certificates issued by the Textile Committee or its representative.
42.	Export of Millmade/handloom cottonwoven blouses and shirts for women, girls and infants and dresses for women and girls to Australia.	B.70(xi)	Against quota allotted by the Cotton Textiles Promotion Council, Bombay or its authorised up country representatives by endorsement on shipping bills.
43.	Coir and Coir products,	B-72	Export will be allowed on production of a certificate from the Coir Board that the f.o.b. value is not less than the floor price fixed by the Ministry of Commerce.
44.	(i) Hand woven woollen carpets of Persian and Mobarik designs upto 32000 knots per sq. metre. (ii) Hand woven woollen carpets, rugs and druggets, except of Persian and Mobarik designs.	B. 73(i) B. 73(ii)	Exports shall be allowed to all destinations, except to countries having a common land frontier with India, subject to the following conditions : (i) Floor price of Rs. 70/- per sq. metre f.o.b. (ii) Exports shall be on outright sale basis. 1. Export of carpets and rugs manufactured in Eluru and Warrangal in Andhra Pradesh allowed to all destinations, except to countries having common land frontier with India, subject to the following conditions :— (i) Floor price of Rs. 35 sq. metre f.o.b. (ii) A certificate is produced from the Director of Industries Andhra Pradesh that the carpet is manufactured in Eluru/Warrangal. (iii) Export shall be on outright sale basis. 2. Export of other carpets and rugs allowed to all destinations, except to countries having a common land frontier with India, subject to the following conditions :— (i) Floor price of Rs. 50 per sq. metre f.o.b. (ii) Export shall be on outright sale basis.
45.	Silk Carpets and carpets made of synthetic/mixed and/or blended fibres.	B-74	Exports allowed to all permissible destinations except to countries having a common land frontier with India.
46.	(i) Silver salts, silver chemicals and compounds with more than 50 per cent silver contents. (ii) Manufactures and products wholly or mainly of silver with more than 50 per cent silver contents, excluding silver zari goods.	B-77(ii) B-77(iii)	(i) Acceptance of export price by the Customs. (ii) Export on consignment basis will not be allowed.
47.	Silver Coins.	B-78	1. In case of silver coins issued before 1950 :— (a) Export value is not less than the value of silver content, (b) Permission of the Reserve Bank of India is obtained, and (c) Permission of the Archaeological Survey of India is obtained, if the coins are more than 100 years old. 2. In case of silver coins issued after 1950 :— (a) Minimum export price is Rs. 15/-, Rs. 25/- and Rs. 60/- respectively per coin f.o.b. for Rs. 10, Rs. 20 and Rs. 50 coins. (b) Proof coins (or proof set) will be permitted to be exported only by India Government Mint, Bombay.
48.	Gem variety of Beryl.	B-79	By parcel post/by air up to a maximum of 10 Kgs.

1	2	3	4
49.	Nickal cadmium battery scrap.	B-86(i)	Certificate from a Recognised Public Analyst to the effect that scrap conforms to the specifications given under this item.
50.	Motor vehicles, namely lorries, motor omnibuses, vans and chassis for the same.	B-89(i)	
51.	Imported motor vehicle parts.	B-89(i)	By Exporters of original equipment as part of after-sale services.
52.	Trucks	B-89(iii)	Exports allowed to all permissible destinations except to countries having a common land frontier with India.
53.	Tractors	B-89(iv)	
54.	Giant Size Tyres and Tubes	B-89(v)	
55.	Muzzle Loading Guns.	B-91	1. Licence under the Arms Act and Rules. 2. Certificate from the Archaeological Survey of India to the effect that the arms to be exported are not antiques and/or rare specimens.

O. G. L. 4.

The Canalising Agency mentioned in column 4 may export to any country except to a country to which export is prohibited by any law for the time being in force, the following goods namely :—

S. No.	Item	S. No. as in Part 'B' of Schedule I	Canalising Agency
1	2	3	4
1.	Dried Fish other than Prawns, Sharkfins, Beach-De-mere, Bombay Ducks and other dried shell fish.	B-8	State Trading Corporation
2.	Basmati Rice	B-20	State Trading Corporation
3.	Shellac, seedlac, buttonlac, garnet lac, and all other forms of lac except those mentioned in item No. 14 of Part A	B-27	State Trading Corporation
	'A'		
4.	Kuth	B-28	State Trading Corporation
5.	Sugar	B-33	State Trading Corporation
6.	Salt all sorts	B-43	State Trading Corporation
7.	Cement	B-44	(i) State Trading Corporation (ii) Engineering Projects (India) Ltd., only for use in construction projects undertaken by them in foreign countries.
8.	Iron Ores (Other than Goa]Origin).	B-45 (ii)	Minerals and Metals Trading Corpn.]
9.	Bi-metal ore (Black iron ore) with manganese contents from 3% upto 10% of Goa Origin.	B-45 (ii)	Minerals and Metals Trading Corporation.
10.	Manganese Ores	B-45 (v)	Minerals and Metals Trading Corporation.
11.	Barytes (Lumps and Powder)	B-45 (vii)	Minerals and Metals Trading Corporation
12.	Mica including mica splittings of all grades and varieties of mica, excepting manufactured and fabricated mica (including die-cut condenser films, spacers, bridges, washers etc.) micanite reconstituted mica, mica powder and mica paper.	B-46	Mica Trading Corporation of India Private Limited.
13.	Coal and Coke	B-47	Minerals and Metals Trading Corporation.
14.	Benzene	B-49 (i)	State Trading Corporation.
15.	Toluene	B-49 (5)	State Trading Corporation

1	2	3	4
16.	Lemongrass Oil	B. 52	State Trading Corporation.
17.	Exposed Cinematographic Films (feature films)	B. 55	Indian Motion Pictures Export Corporation.
18.	Natural Rubber	B. 58	State Trading Corporation.
19.	Goat Hair Patties	B. 67	Handicrafts and Handlooms Exports Corporation of India Limited, New Delhi.
20.	Raw Jute, mesta and jute cuttings excluding caddies.	B. 71	Jute Corporation of India.
21.	Knitwear (Wollen and mixed)	B. 75	1. Handicrafts and Handlooms Export Corporation of India Ltd., New Delhi. 2. State Trading Corporation (for export of knitwear olive green).
22.	Footwear, all sorts	B. 76	State Trading Corporation.
23.	Iron and Steel Materials, the following :--	B. 80	
	1. Pig Iron		
	2. Bullets and bars		
	3. Ingots & slabs		
	4. Structural		
	5. HR Coils/Plates/Sheets		
	6. CR Coils		
	7. G.P./G.C. Sheets		
	8. Electrical Sheets		
	9. Railway materials		
	10. M.S. Wires (coated/uncoated)/ Medium/H.C. Wires excluding spring Steel wires.		SAIL International Ltd.
24.	Ferro Alloys :		
	(i) Ferro manganese (other than ferro manga- nese containing less than 0.05% carbon)/ Silico manganese ;		
	(ii) Ferro Manganese Slag ;	B. 81	SAIL International Ltd.
	(iii) Ferro chrome (other than ferro chrome containing less than 0.03% carbon and nitrogen bearing)/silico chrome; and		
	(iv) Ferro Silicon ,		
25.	Ferrous Scrap :		
	(i) Mill Scale Scrap		
	(ii) CI skull scrap		
	(iii) Rejected CI Ingot mould/bottom plate scrap.		
	(iv) Rejected discarded CI chilled roll scrap	B. 83	Metal Scrap Trade Corporation.
	(v) Tool and alloy steel scrap (other than stainless steel scrap)		
	(vi) Steel skull scrap		
	(vii) CI Borings		
	(viii) Detinned bundles		
	(ix) Rejected steel ingots		
	(x) Pig Iron chips/scrap		
26.	Railway Wagons	B. 88	Projects and Equipment Corporation of India Ltd. New Delhi.

[No. 1/77-ETC.]

A. S. GILL,

CHIEF CONTROLLER OF IMPORTS & EXPORTS.

वाणिज्य मंत्रालय**आदेश****निर्यात व्यापार नियंत्रण**

नई दिल्ली, 27 मार्च, 1977

निर्यात नियंत्रण आदेश, 1977

का० आ० 254 (अ) .—आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खंड 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निम्नलिखित आदेश की रचना करती है, अर्थात्—

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ .—** (1) इस आदेश को निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 की संज्ञा दी जाए।

(2) यह 1 अप्रैल 1977 से प्रभावी होगा।

2. **परिभाषा .—** इस आदेश में जब तक अन्यथा रूप से सन्दर्भ की आवश्यकता नहीं है :—

- (क) “अधिनियम” का अर्थ है आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18);
- (ख) “मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात में” अपर मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के कार्यालय में, निर्यात आयुक्त, संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, और नियंत्रक, आयात निर्यात शामिल है।
- (ग) “सीमा शुल्क आयुक्त” का वही माने है जो सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) में नियत है ;
- (घ) “लाइसेंस” में इस आदेश के अन्तर्गत शिपिंग बिल में किया गया लाइसेंस पृष्ठांकन शामिल है ;
- (ङ) “लाइसेंसधारी” का मतलब वह व्यक्ति है, जिसको इस आदेश के अन्तर्गत लाइसेंस प्रदान किया जाता है ;
- (च) “लाइसेंस प्राधिकारी” का मतलब है वह समर्थ अधिकारी जो इस आदेश के अन्तर्गत लाइसेंस प्रदान करता है ;
- (छ) “अनुसूची” का मतलब है आदेश के लिए अनुसूची ;
- (ज) “मूल्य” का मतलब वही है जो सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 के 52) की धारा 14 की उप धारा (1) में है।

3. **कुछ मर्दों के निर्यात पर प्रतिबन्ध .—** (1) इस आदेश में अन्यथा रूप से जो व्यवस्थित है, उसे छोड़कर कोई भी व्यक्ति अनुसूची -1, में उल्लिखित विवरणों के किसी भी माल का निर्यात नहीं करेगा, किन्तु उनको छोड़कर जिन्हें केन्द्रीय सरकार या अनुसूची-2, में उल्लिखित अधिकारी द्वारा नियमानुसार लाइसेंस प्रदान किया जाता।

(2) कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान को किसी भी माल का निर्यात नहीं करेगा लेकिन उनको छोड़कर जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा या अनुसूची-2 में उल्लिखित अधिकारी द्वारा नियमानुसार लाइसेंस प्रदान किया जाता है।

(3) उप-अनुच्छेद (1) और (2) में किसी बात के होते हुए भी अनुसूची-3 में विशिष्टीकृत के माल का निर्यात या उसमें उल्लिखित शर्तों को पूरा करने में किया जा सकता है।

4. **लाइसेंस की शर्तें .—** (1) इस आदेश के अन्तर्गत प्रदान किए गए लाइसेंस में इस तरह की शर्तें हो सकती हैं, इस अधिनियम या इस आदेश के साथ न रहते हुए भी निम्नलिखित लाइसेंस अधिकारी उन्हे उपयुक्त समझें :—

(2) इसे प्रत्येक लाइसेंस के लिए एक शर्त के रूप में समझा जाएगा कि :—

(क) लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए लाइसेंस को कोई व्यक्ति हस्तान्तरित नहीं करेगा और न कोई व्यक्ति हस्तान्तरण द्वारा प्राप्त करेगा, किन्तु उन मामलों को छोड़कर जिनमें से प्राधिकारी द्वारा लिखित अनुमति मिल जाती है, जिसने लाइसेंस प्रदान किया है या अन्य कोई व्यक्ति जो इस प्रकार के अधिकारी द्वारा उसकी ओर से ऐसा करने के लिए समर्थ बनाया गया है।

(ख) जिस माल के आयात के लिए लाइसेंस प्रदान किया जाता है, वह माल निर्यात के समय लाइसेंस धारी की सम्पत्ति होगा।

(3) इस अनुच्छेद के अन्तर्गत रखी गई या रखी जाने वाली शर्तों का पालन लाइसेंसधारी करेगा।

5. **लाइसेंस अस्वीकार करना .—** लाइसेंस प्राधिकारी लाइसेंस देने से इंकार कर सकता है :—

(क) यदि लाइसेंस के लिये दिया गया आवेदन पत्र इस आदेश की व्यवस्था की पुष्टि नहीं करता है ;

(ख) यदि इस प्रकार के आवेदन पत्र पर किसी प्रकार के झूठे या जालसाजी करने या गुमराह करने का विवरण पाया जाता है ;

(ग) यदि आवेदक अपने आवेदन पत्र के समर्थन में कोई ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत करता है जो झूठा है या जाली है या नकल किया हुआ है ;

- (घ) यदि लाइसेंस प्राधिकारी यह समझता है कि लाइसेंस प्रदान करना देश के हित में नहीं होगा ;
- (ङ) यदि आवेदक के कार्य-कलाप राज्य के हित के प्रतिकूल हैं ;
- (च) यदि आवेदक ने किसी समय सीमा शुल्क या बिरेकी मुद्रा से संबंधित किसी कानून (जिसमें कोई नियम आदेश या अधिनियम शामिल है) का उल्लंघन किया है ;
- (छ) यदि आवेदक ने किसी समय निर्यात लाइसेंस में कोई फेर बदल की है या बिना लाइसेंस के माल निर्यात किया है या अपने वाणिज्यिक कार्यों में या किसी प्रकार के लाइसेंस प्राप्त करने में किसी भ्रष्ट या धोखे बाजी के कामों में भाग लिया है या वह यह पाया जाता है कि उसने लाइसेंसधारी को किसी प्रकार का प्रलोभन देकर या अन्य तरीके से लाइसेंस पाने के लिए धावना की है ;
- (ज) यदि आवेदक के लिए लाइसेंस प्राप्त करने में आवेदक के किसी अभिकर्ता या कर्मचारी ने किसी भ्रष्ट या जालसाजी के कामों में भाग लिया है ;
- (झ) यदि निर्यात लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र दोष पूर्ण पाया जाता है और निर्धारित नियमों की पुष्टि नहीं करता है ;
- (ञ) यदि आवेदक अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गए या बनाए गए समझे जाने वाले किसी आदेश का या इस प्रकार के किसी आदेश के अन्तर्गत प्रदान किए गए लाइसेंस की किसी शर्त का उल्लंघन करता है ; या उल्लंघन करने का प्रयास करता है या उल्लंघन करने के लिए उकसाता है या निर्यात व्यापार नियंत्रण विनियमों को भंग करता है ;
- (ट) यदि आवेदक निर्यात नियंत्रण विनियमों के अनुसार लाइसेंस के लिए पात्र नहीं है ;
- (ठ) यदि लाइसेंस प्राधिकारी निर्यात को विशेष या विशिष्ट अभिकरणों से या सूत्रों के माध्यम से सरणीबद्ध करने का निश्चय करता है ;
- (ड) यदि आवेदक एक साक्षीदार फर्म में साक्षीदार है या उस प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी का संचालक है जो कुछ समय के लिए अनुच्छेद-7 के अन्तर्गत कार्यवाही के अधीन है ;
- (ढ) यदि आवेदक अनुच्छेद-7 के उप-अनुच्छेद (2) के अन्तर्गत थोड़े समय के लिए किसी कार्यवाही के अधीन है ;
- (प) यदि आवेदक एक साक्षीदार फर्म में या प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी, में कोई साक्षीदार या उसका संचालक हो या

जैसा भी मामला हो वो थोड़े समय के लिए अनुच्छेद-7 या 8 या 9 के अन्तर्गत किसी कार्यवाही के अधीन है ;

- (फ) यदि सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के अन्तर्गत आवेदक से किसी प्रकार की धनराशि की मांग की जाती है या उक्त अधिनियम के अन्तर्गत से किसी प्रकार का लगभग-गया दण्ड 3 महीने की अवधि तक चुकाया नहीं गया है ;

- (ब) यदि आवेदक किसी प्रकार के उस दस्तावेज को प्रस्तुत करने में असमर्थ है जिसकी मांग मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात या लाइसेंस प्राधिकारी से की जाती है ।

6. लाइसेंस का संशोधन .—लाइसेंस प्राधिकारी अपने स्वयं के प्रस्ताव पर या लाइसेंसधारी के आवेदन पर, इस आदेश के अन्तर्गत प्रदान किए गए लाइसेंस को इस तरह से संशोधित कर सकता है, जो कि अधिनियम की या इस आदेश की या थोड़े समय के लिए लागू किसी अन्य कानून की व्यवस्थाओं के अनुरूप आवश्यक समझे या लाइसेंस में किसी प्रकार की गलती या भूल का सुधार कर सकता है ;

बशर्ते कि लाइसेंस प्राधिकारी लाइसेंसधारी के अनुरोध पर लाइसेंस में निर्यात व्यापार नियंत्रण विनियमों के अनुसार किसी संगत तरीके से संशोधन करे ।

7. लाइसेंस प्राप्त करने या नए माल निर्यात करने से बंधित करने का अधिकार .—(1) केन्द्रीय सरकार या मुख्य नियंत्रक आयात निर्यात, लाइसेंसधारी को या निर्यातक को या किसी अन्य व्यक्ति को लाइसेंस प्राप्त करने से या किसी माल का निर्यात करने से बंधित कर सकता है और अन्य कोई कार्यवाही, जो इसकी ओर से की जाती है उसे ध्यान में रखे बिना निवेश दे सकता है कि उसे कोई लाइसेंस प्रदान नहीं किया जाएगा या इस आदेश के अन्तर्गत एक विशिष्टिकृत अवधि के लिए किसी माल के निर्यात के लिए उसे कोई अनुमति नहीं दी जाएगी :—

- (क) यदि लाइसेंस के लिए उसका आवेदन पत्र किसी समय इस आदेश की किसी व्यवस्था के अनुरूप नहीं पाया जाता है ; या
- (ख) यदि इस प्रकार के आवेदन पत्र में किसी प्रकार का झूठा जाली या भुमराह करने वाला विवरण शामिल होता है ; या
- (ग) यदि यह पाया जाता है कि उसे अपने आवेदन पत्र के समर्थन में जो प्रलेख दिया है, वह झूठा है या जाली बनाया हुआ है या उसमें हेरफेर किया हुआ है ; या
- (घ) यदि उसने किसी समय निर्यात लाइसेंस में हेरफेर किया है या लाइसेंस के बिना माल निर्यात किया है या व्यापारिक व्यवहार करने में या लाइसेंस प्राप्त करने में या किसी माल का निर्यात करने में किसी भ्रष्ट या धोखे बाजी के काम में भाग लिया है, या यह पाया जाता है

कि लाइसेंसधारी न किसी प्रकार का प्रलोभन देकर या किसी अन्य तरीके से लाइसेंस पाने के लिए याचना की है ;

(क) यदि उसके अभिकर्ता या कर्मचारी न किसी घट्ट या ~~ओखेबाजी के काम में किसी लाइसेंस प्राप्त करने या उसकी ओर से किसी माल का निर्यात करने में किसी ओखेबाजी के काम में भाग लिया है ; या~~

(च) यदि वह लाइसेंस में दी गई शर्तों या लाइसेंस के साथ संलग्न किए गए आबेदनपत्र में दी गई शर्तों में से किसी शर्त का अनुपालन करने में असफल रहता है या उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने का प्रयत्न करता है या उल्लंघन करने में सहायता देता है ; या

(छ) यदि वह सीमाशुल्क या माल के आयात और निर्यात या विदेशी मुद्रा से संबंधित किसी कानून (इसमें कोई आदेश या विनियम) शामिल है को भंग करता है ; या (ज) यदि वह मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात या किसी अन्य लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा मांगे गए वस्तावेज को प्रस्तुत करने में समर्थ होता है ;

नोट:—इस उप-धारा में “लाइसेंस के लिए आबेदन पत्र” अभि-
व्यक्ति में निर्यात व्यापार नियंत्रण विनियमों के अन्तर्गत किया गया कोई भी आबेदन पत्र शामिल है ।

(2) केन्द्रीय सरकार या मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात लिखित रूप में विशेष आदेश द्वारा :—

(क) विवर्जित कर सकते हैं :—

(1) उस व्यक्ति को जिसके संबंध में विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं सक्कारी कार्यकलाप निवारण अधिनियम, 1974 (1974 के 52) (इसके बाद 1974 के अधि-
नियम के रूप में उल्लिखित किया गया) के अधीन निरोधआदेश लागू किया गया है ; या

(2) एक साझीदार फर्म या प्राइवेट कम्पनी के ऐसे व्यक्ति को जो भागीदार हो या संचालक जैसा भी मामला हो, लाइसेंस प्राप्त करने से या माल का निर्यात करने से, और

(ख) ऐसे व्यक्ति साझीदार फर्म या कम्पनी के विरुद्ध जो कार्रवाई की जा सकती है, उसको ध्यान में रखे बिना ही निदेश दे सकता है कि ऐसे व्यक्ति साझीदार फर्म या संचालक को लाइसेंस या किसी माल का निर्यात करने की अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी,

और वह उस अवधि के लिए जो इस प्रकार के विशेष आदेश में उल्लिखित की जाए, बशर्त कि ऐसा विशेष आदेश ऐसे व्यक्ति के संबंध में या जैसा भी मामला हो उस भागीदार फर्म या कम्पनी जिस का वह व्यक्ति भागीदार है या संचालक है ऐसा विशेष आदेश

प्रभावी नहीं रहेगा जब ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध निरोध आदेश किया गया हो—

(1) निरोध आदेश होने के कारण जिसके संबंध में अधि-
नियम 1974 की धारा 9 या धारा 12-ए के अधीन जो व्यवस्थाएं लागू होती हैं, समय की समाप्ति से पूर्व या धारा 9 की रिपोर्ट पर या परामर्श बोर्ड की रिपोर्ट की पाबंदी से पूर्व या परामर्श बोर्ड को संदर्भ करने से पूर्व उक्त अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत उसे रद्द कर दिया गया है, या

(2) निरोध आदेश होने के कारण जिसके संबंध में अधि-
नियम 1974 की धारा—9 के अधीन जो व्यवस्थाएं लागू होती हैं, समय की समाप्ति से पूर्व या धारा 9 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत पुनरीक्षा के आधार पर या धारा 8 के अन्तर्गत जिसे उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (2) के साथ पढ़े जाने वाले के आधार पर उसे रद्द कर दिया गया है, या

(3) निरोध आदेश के कारण जिसके संबंध में अधिनियम 1974 की धारा 12-ए के अधीन जो व्यवस्थाएं लागू होती हैं, समय समाप्ति के पूर्व या उक्त धारा की उप-धारा (3) के अधीन प्रथम पुनरीक्षा के आधार पर या उपयुक्त अधिनियम की धारा 12-ए की उप-धारा (6) के साथ पढ़ी जानेवाली धारा 8 के अधीन परामर्श बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर उसे रद्द कर दिया गया है, या

(4) वैध क्षेत्राधिकार के न्यायालय द्वारा उसे रद्द कर दिया गया है ।

8. लाइसेंस प्रदान करने या माल की निर्यात के लिए स्वीकृति को निलम्बित करने का अधिकार.—केन्द्रीय सरकार या मुख्य नियंत्रक आयात निर्यात लाइसेंस धारी को या निर्यातक को या किसी अन्य को लाइसेंस प्रदान करने या माल का निर्यात करने के लिए स्वीकृति प्रदान करने का, अनुच्छेद 7 में उल्लिखित एक या एक से अधिक आरोपों के मामले में पढ़े हुए आचार्धीन मामलों को उस संबंध में की जाने वाली कार्रवाई को ध्यान में रखे बिना ही निलम्बित कर सकता है, बशर्त कि लाइसेंस प्रदान करने और माल का निर्यात करने के लिए स्वीकृति इस अनुच्छेद के अन्तर्गत साधारणतः 12 मास की अवधि से अधिक के लिए निलम्बित नहीं की जाएगी: बशर्त कि ऐसे निलम्बन को वापिस लेने पर उसे आस्थगन अवधि के लिए लाइसेंस प्रदान किया जा सकता है और वह सबद्ध आर्थिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त प्राधिकारी द्वारा निश्चित की जाने वाली ऐसी शर्तों, सीमानिर्धारण के प्रतिबंधन के अधीन होगा ।

9. निर्यात किए जाने वाले माल के लिए आबेदन पत्रों की व्यवस्था—इसमें—उन मामलों में जहां लाइसेंसधारी या निर्यात या किसी भी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध परिच्छेद 7 में उल्लिखित

आरोपों में से किसी भी आरोप के लिए जाब पड़ताल करना बाकी है और जहाँ केन्द्रीय सरकार या मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात इस प्रकार के आरोपों के सम्बन्ध में और विस्तृत जानकारी का पता लगाए बिना ही संतुष्ट हो जाता है कि लाइसेंस प्रदान करने या माल के निर्यात करने के लिए स्वीकृति प्रदान करना सार्वजनिक हित में नहीं है तो इस आदेश में निहित किसी भी बात के होते हुए भी केन्द्रीय सरकार या मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ऐसे व्यक्ति को लाइसेंस प्रदान करने के लिए या माल का निर्यात करने के लिए उस के किसी भी आवेदन पत्र को, किसी भी कारण को बतलाए बिना ही और इस संबंध में की जाने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई को ध्यान में रखे बिना ही, आस्थगन में रख सकता है।

बशर्ते कि वह अवधि जिस के लिए ऐसे लाइसेंस प्रदान करने या माल के निर्यात के लिए स्वीकृति प्रदान करने को इस परिच्छेद के अन्तर्गत आस्थगन में रखा गया है, साधारणतः 6 मास से अधिक की नहीं होगी।

10. परिच्छेद 7 अथवा 8 के अन्तर्गत की गई कार्रवाई का प्रचार :—

(1) यदि केन्द्रीय सरकार के विचार में यह आवश्यक है या सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए यह उचित है कि परिच्छेद 7 या 8 के अन्तर्गत किसी व्यक्ति के या उन व्यक्ति के समूह के नामों या अन्य व्योरो को जिन के विरुद्ध कार्रवाई की गई है उन्हें प्रकाशित किया जाए तो जैसा भी वह उचित समझे ऐसे व्यक्ति या व्यक्ति के समूह के नाम को और ऐसे व्योरो को प्रकाशित कर सकती है या प्रकाशित करने को प्रेरित कर सकती है।

(2) ऐसी किसी भी कार्रवाई के सम्बन्ध में उप-परिच्छेद (1) के अन्तर्गत तब तक कोई भी प्रकाशन नहीं किया जाएगा जब तक कि अपील प्राधिकारी को अपील प्रस्तुत करने का समय, यदि कोई हो, बिना अपील प्रस्तुत किए ही न समाप्त हो जाए, या, यदि अपील प्रस्तुत की गई हो तो वह निपटा न दी जाए।

व्याख्या:—व्यापार समवाय, कम्पनी या व्यक्तियों की अन्य संस्था के मामले में, व्यापार समवाय के साक्षीदारों, संचालकों, प्रबन्ध-एजेंटों, सचिवों और कोषाध्यक्षों या कम्पनी के प्रबन्धकों या संस्था के सदस्यों जैसा भी मामला हो, के नाम भी प्रकाशित किए जाए बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार के विचार में मामले की परिस्थितियां इसे न्यायमग्न ठहराएं।

11. लाइसेंसों को रद्द करना:—(1) केन्द्रीय सरकार या मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात या उसकी ओर से प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी इस आदेश के अन्तर्गत प्रदान किए गए किसी भी

लाइसेंस को रद्द कर सकता है या अन्यथा रूप से उसे अप्रभावी कर सकता है—

- (क) यदि लाइसेंस भूल या गलती से प्रदान किया गया है या जालसाजी या मिथ्या निरूपण से प्राप्त किया गया है,
- (ख) यदि लाइसेंस, नियमों के या इस आदेश की शर्तों के प्रतिकूल प्रदान किया गया है,
- (ग) यदि लाइसेंसधारी ने लाइसेंस की शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन किया है,
- (घ) यदि केन्द्रीय सरकार या ऐसा अधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि लाइसेंस उस उद्देश्य को पूर्ति नहीं करेगा जिसके लिए वह प्रदान किया है,
- (ङ) यदि लाइसेंसधारी ने सीमा शुल्क से सम्बन्धित किसी कानून या माल के आयात-निर्यात से सम्बन्धित किन्हीं नियमों या विनियमों या विदेशी मुद्रा के विनियमों से सम्बन्धित किसी कानून का उल्लंघन किया हो इस की शर्त यह भी है कि इस आदेश में कोई बान निहित होते हुए भी केन्द्रीय सरकार या मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात या उसकी ओर से प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी यदि इस बात से संतुष्ट है कि लाइसेंस को रद्द करना या उसे अप्रभावी करना सार्वजनिक हित में है तो वह कोई भी कारण बताए बिना ही ऐसा कर सकता है।
- (2) केन्द्रीय सरकार या मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात या उसकी ओर से प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी इस आदेश के अन्तर्गत निम्नलिखित व्यक्तियों को प्रदान किए गए किसी भी लाइसेंस को लिखित रूप में विशेष आदेश द्वारा अप्रभावी कर सकता है:—

(क) ऐसा व्यक्ति जिस के सम्बन्ध में अधिनियम 1974 के अन्तर्गत कारावास का आवेदन दिया गया हो या

(ख) एक साझेदारी की फर्म या प्राइवेट लि० कम्पनी जिस का ऐसा व्यक्ति साझीदार या संचालक हो।

शर्त यह है कि ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में या साझेदारी फर्म या कम्पनी जो भी हो, जिसका ऐसा व्यक्ति साझीदार या संचालक हो, के सम्बन्ध में ऐसा विशेष आदेश उस समय अपना कोई प्रभाव नहीं रखेगा जब कि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध दिया गया कारावास का आदेश—

- (1) कारावास का ऐसा आदेश हो जिस के लिए 1974 के अधिनियम की धारा 9 या धारा 12क की शर्त लागू न होती हो, और वह इस अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट पर, या सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट की प्राप्ति से पहले, या सलाहकार बोर्ड को सन्दर्भ भेजने से पहले रद्द कर दिया गया हो, या
- (2) कारावास का ऐसा आदेश हो जिसके लिए अधिनियम 1974 की धारा 9 की शर्त लागू होती हो, और वह

धारा 9 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्रथम पुनः विचार के लिए दिए गए समय की समाप्ति से पहले या प्रथम पुनः विचार के आधार पर या इस अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) के साथ पढ़े जाने वाली धारा 8 के अन्तर्गत सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर रद्द कर दिया गया हो, या

- (3) कारावास का ऐसा आदेश हो जिसके लिए अधिनियम 1974 की धारा 12 क की शर्त लागू होती हो और वह इस धारा की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्रथम पुनर्विचार के लिए दिए गए समय की समाप्ति से पहले या प्रथम पुनर्विचार के आधार पर या इस अधिनियम की धारा 12 क की उपधारा (6) के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 8 के अन्तर्गत सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर रद्द कर दिया गया हो, या

- (4) कारावास का ऐसा आदेश हो जो समर्थ न्याय अधिकारी के न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया हो।

12. लाइसेंसधारी आदि को सुनवाई के लिए सुझाव प्रदान करना :—

- (1) अनुच्छेद 6 या 7 या 8 या 11 के अन्तर्गत लाइसेंसधारी या निर्यातक या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध तब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक कि उसे सुनवाई का उचित सुझाव प्रदान न कर दिया गया हो।
- (2) यदि किसी मामले में अनुच्छेद 7 या 8 के अन्तर्गत की गई कार्रवाई से कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं है तो वह कार्रवाई के पत्र की तिथि से 30 दिनों के भीतर ऐसी कार्रवाई के विरुद्ध ऐसे प्राधिकारी से अपील कर सकता है जिनके केन्द्रीय सरकार सरकारी राजपत्र में अधिपूचना अपील नुतन के लिए निर्धारित करे।

13. निर्यात किए गए माल के मूल्य, किस्म, गुण आदि विषय के घोषणा :—

किसी सीमा-शुल्क पत्र से किसी भी माल का निर्यात करने पर चाहे वह माल सीमा शुल्क के अधीन हो या नहीं उस माल का मालिक या निर्यातक अपने ज्ञान और विश्वास के अनुसार पोत लदान बिल में या अन्य संगत दस्तावेज में उस माल के मूल्य, किस्म, विशिष्टीकरण, गुण और विवरण का उल्लेख करेगा और यह प्रमाणित करेगा कि इन दस्तावेजों में उल्लिखित माल की किस्म और विशिष्टीकरण उसी निर्यात सचिदा के अनुसार है जो क्रेता और माल के परेषक के बीच की गई है और जिसके अनुसरण में माल का निर्यात किया जा रहा है और ऐसे उल्लेख की घोषणा की सच्चाई में ऐसे बिल या अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करेगा।

14. कोई भी घोषणा करने, विवरण पत्र या दस्तावेजों पर हस्ताक्षर आदि करने के सम्बन्ध निषेध :—

- (1) लाइसेंस प्राप्त करने में या किसी भी माल का निर्यात करने में कोई भी व्यक्ति किसी भी लाइसेंस पत्र, विवरण पत्र या दस्तावेज पर यः जानते हुए या विश्वास रखते हुए न तो हस्ताक्षर करेगा और न हस्ताक्षर करने का कारण उत्पन्न करेगा कि ऐसे घोषणा पत्र, विवरण पत्र या दस्तावेज में कोई भी विशेष बात झूठी है।
- (2) कोई भी व्यक्ति किसी भी लाइसेंस को प्राप्त करने या किसी भी माल का निर्यात करने में भ्रष्ट या कपटपूर्ण तरीकों का प्रयोग नहीं करेगा।

15. असबाब :—निम्नलिखित के लिए आदेश में से कुछ भी लागू नहीं होगा

- (क) केन्द्रीय सरकार द्वारा या उस के प्राधिकार के अधीन निर्यात किया गया कोई भी माल,
- (ख) मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात द्वारा जारी किए गए निष्पादन अनुदेशों में शामिल कोई भी माल,
- (ग) बाहर जा रहे वाले किसी जलयान या अन्य वाहन के भण्डागार या उपस्कर के रूप में कोई भी माल, किन्तु भोजन सामग्री से भिन्न,
- (घ) भारत से बाहर जाने वाले किसी भी व्यक्ति (बाहर जाने वाले किसी जलयान या वाहन में यात्री या नाविक बल के सदस्य को छोड़ कर) के वास्तविक निजी असबाब में शामिल कोई भी माल :

शर्त यह है कि अनुसूची 1 के भाग 'क' में विशिष्टीकृत जंगली जीव (मृत या जीवित या उनके अंग या उनके उत्पाद) ऐसे निजी असबाब में शामिल नहीं किये जाएंगे,

- (ङ) डाक प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए पोस्टल नोटिस में विशिष्टीकृत शर्तों के अन्तर्गत डाक द्वारा या वायुयान द्वारा निर्यात किया गया कोई भी माल,
- (च) भारत के पत्तन पर वाहनान्तरित कोई भी माल जबकि वह भारत से बाहर के पत्तन से परेषण के समय ऐसे वाहनान्तरण के लिए माल सूची में लिख दिया गया हो,
- (छ) आयात किया हुआ और भारत में पहुँचने पर नेपाल और भूटान के प्रतिरिक्त भारत से बाहर किसी भी देश को पुनर्निर्यात के लिए आबद्ध कोई भी माल,
- (ज) यात्रा में डाक द्वारा भारत से होकर कोई भी माल या नेपाल और भूटान को छोड़ कर भारत से बाहर के किसी भी गन्तव्य स्थान को डाक द्वारा भेजा गया कोई भी माल बशर्ते कि भारत में रहते समय ऐसा मान सदैव डाक प्राधिकारियों के संरक्षण में रहा हो,

(घ) वैध आयात लासेस के बिना आयात किया गया और प्राधिकृत सीमाशुल्क अधिकारी द्वारा निर्यात के लिए दिए गए आदेश के अनुसार निर्यात किया गया कोई भी मास,

(ग) कान्बला मुक्त व्यापार क्षेत्र में विनिर्मित और वहां से निर्यात किए गए उत्पाद ।

16. निरसन .— समय-समय पर यथासंशोधित एस० ओ० 927 दिनांक 8 मार्च, 1968 के अन्तर्गत, भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय के आदेश से प्रकाशित किया गया निर्यात (नियंत्रण), आदेश, 1968 एतद् रद्द किया जाता है :—

शर्त यह है कि उपर्युक्त आदेश या अधिसूचना की शर्तों में से किसी एक शर्त के अन्तर्गत किए गए किसी भी फैसले या जारी किए गए किसी भी लाइसेंस सहित कोई भी बात या कार्रवाई इस आदेश की तदनुगुणी शर्तों के अन्तर्गत ही की गई समझी जाएगी ।

अनुसूची-१

(अनुच्छेद ३ देखें)

निर्यात नियंत्रण के अधीन पण्यवस्तुएं

भाग - 'क'

वेमदे जिनका निर्यात सामान्यतः अनुमति नहीं है

1. निम्नलिखित जंगली जन्तु (मृत या जीवित या उनके अंग या उनके उत्पाद) :—

(क) सततधारी :

1. बिन्दु रंग (आर्कटिकटिस बिन्दुरंग)
2. काली हिरण (एन्टीलोप सर्विकेप्रा)
3. नीली श्वेल (बुलाइनोप्टेरा मस्ब्युलस)
4. भोपर सींग वाला हिरण या घामिन हिरण (सर्वस एल्बी)
5. हिमालयी भूरा रीछ (अर्सस आर्कटस)
6. चिकारा या छोटा भारतीय हिरण (गजेला गजैला बनेटी)
7. साधारण लगूर (प्रेसबाइटिस एन्टिलस)
8. टोपधारी लगूर (प्रेसबाइटिस पाइलैटस)
9. स्याह गौश (पेविस कैरकल)
10. चीता (एसिननिकस जुवाटस)
11. मेघवर्ण चीता (नियोफेलिस नबुलोसा)
12. क्रैब-ईटिंगमका (मका काआइस अमब्रोसा)
13. समुद्री गाय (डारोग डगन)
14. रेगिस्तानी बिल्ली (फेलिस लिबिया)
15. रेगिस्तानी लोमड़ी (बलेप्स बंगालेन्सिस पुपील्ला, बी० बंगालेन्सिस (फिपटी)

16. मछली पकड़ने वाली बिल्ली (फेलिस विष रिना)
17. चार सींग वाला हिरण (टेटरायरोस बबाहि कोर्निस)
18. उड़ने वाली गिलहरिया (जेन्स हाइलोपेटिस, पेटोरिस्टा बिलोमीस और यूपेटे, रस के सभी प्रतिलिपि)
19. गारे (वासगान्देस)
20. मगेई डालिफून (प्लेटानिस्टा गेन्जेटिका)
21. सुनहरी बिल्ली (फेलिस टेमिन्की)
22. सुनहरी लगूर (प्रेसबाइटिस भी)
23. बृहत् गिलहरिया (रतुफा रूप०)
24. देवछागल (नेमोरहायडस गोरल)
25. लोमश खरगोश (केप्रोलोगस हिस्पिडस)
26. हूलक (हिलोबट्स हूलक)
27. कुबूज श्वेल (मेगापेट्रा नेवाकांगली)
28. भारतीय पेगोलियन (मेरिस पेन्टाडक्टिला)
29. भारतीय सिंह (पन्थेरा लियो परसिका)
30. भारतीय जंगली खर (एक्सू; हेमिभानेस खर)
31. भारतीय भेड़िया (केनिस लुपस)
32. कश्मीरी बारहसिंगा (सर्वस इलाणस हागेलू)
33. चीता या बाघ (पेन्थेरा पारडस)
34. चीता बिल्ली (फेलिस बंगालेन्सिस)
35. लेसर या लाल पान्डा (एल्यूरस फलजन्स)
36. सिंह पुच्छ बानर (मकाका सिलेनस)
37. लोरिस स्लेन्डर (लोरिस टारबिग्रेडस)
38. वन बिलाब (फेलिस लिन्क्स)
39. मलाबारी मुष्क बिलाब (बाइबेरा मोस्पिला इसाबेलिमा)
40. मलायाबी धूप भालू (हेलारक्टस मलायानस)
41. संगमरमरी बिल्ली (फेलिस मारमरेटी)
42. मारखोर (त्रेप्रा फालकोनेरी)
43. मुष्क हिरण (मोसकस मोशिफरस)
44. मूसक हिरण (ट्रोगुलम मेमिना)
45. नीलगिरि लंगूर (प्रेसबाइटिस जोहनी)
46. नायान या बड़ी तिब्बतीय भेड़ (ओविस एम्मन होजसोनी)
47. उदबिलाब (लट्रा लट्रा, लट्रागेले पर्सेपिलेटा और एनिकस सिनेरिया)
48. पलास बिल्ली (फेलिस भैनुल)
49. पेगोलिन (मोनिस क्रासी-कोडेटा)
50. बोना सुभर (सस सलवा नियस)
51. सुभर पुच्छ बदर (मकाका नेमस्ट्रीना)
52. गेन्डा (राइनासरस यूनिफोरमिस)
53. रतुभा वाग वाली बिल्ली (फेलिस रुबिजिनेसा)
54. लजीला बानर (निबटीसेबस काकांग)
55. बर्फीला चीता (पेन्थेरा अनसिया)
56. स्पाटिड ल्यूसांग (प्रायोनाडेन पार्डीकलर)
57. झाबर हिरण (सर्वस डिबोसेली की सभी उप-जातियां)
58. सुस्त रीछ (मैलरसस अर्सिनस)
59. ठूठ पुच्छ बानर (मकाका स्पेसिओसस)
60. स्क्रोव (केप्रीकोर्निस सुमात्राइनसिस)
61. गवाज (बडोरकस टक्सीकलर)

62. तिब्बती चिकित्सा (प्रोफेसो पिकिट कोडेटा)
63. तिब्बती जंगली खर (एक्यूमस हैमिमानेस कियान)
64. बाघ (पेन्यरा टाइगस)
65. तिब्बती कुत्ता (इन्फेलेलेप्स ह्येज-नोमी)
66. जंगली भेड़ या शापू (प्रोबिस प्रोप्रिण्टेलिस)
67. जंगली भैंस (बुबालस बुबेलिस)
68. जंगली याक (बोस गुनिफ्लस)
69. जंगली कुत्ता (व्युमिन आस्त्रियनस)
70. बोनट बन्दर (थेकाला रेडियाटा)

(ख) रंगने वाले जीव-जन्तुसमूह :

1. आगरा गोंह छिपकली (बारानस प्रैसस)
2. बाई ओवल या पीली गोंह छिपकली (बारानस फ्लेक्सुस)
3. कोकोनट या लुण्ठक केकड़ा (बिगरस लेट्रो)
4. मेगर (इम मे एस्ट्यूएरिस या लवण जलीय ओकोडिलस यूरोसस और सी पास्कुस्ट्रस शामिल हैं)
5. घड़ियाल (गेविएलिस गेन्वटिक्स)
6. ग्रीन सागर कच्छम (बोलोमिमा मिडस)
7. हावस बिल कच्छम (हरेट मेशलीस इनिट्रीकेण इन्सकेटा)
8. हिमालयी सरटिका या लमन्दर (टाइलेट्रीटीन बोरकोसस)
9. भारतीय अजगर (पाइहन नालैरस और पाइहनरेटिक्युलेटस)
10. भारतीय खाद्य (सर्प इलायिडोडोन वेस्ट्समनई)
11. बृहत बगाली गोंह छिपकली (बैरेसस बंगालोन्सिस)
12. चमड़े वाला कच्छम (डेरोनोशिलीस सेरेसिया)
13. बड़े सिर का कच्छम (लैन्डोशेलीस प्रोबिबेसिया)
14. जैतूनी पीठ का बड़े सिर का कच्छम (लैटिडोशेलीस प्रोबिबेसिया)
15. सभी प्रकार के साँप
16. काटेदार घुम वाली छिपकली या सान्छा (यूरोमासट्रिक्स हाईब्रिड)
17. कछुवे (टेस्टुडिनिडाइन ट्राइओनिशिडाय)
18. जलीय गारे छिपकली (बेरेनस साल्वेटर)

(ग) पक्षी :

1. अन्वमान चैती (एनस गिडिब्रकोस अल्बोगुलेरिस)
2. असम बाम्बू पार्टरिज (बम्बूसिकोला फिटिडी)
3. ब्लू फीजेन्ट (इमेजिनन कुएन्टस)
4. बंगाल फ्लोरिन (यूयोडिटिन बंगालन्सिस)
5. ब्लैक नेक्ड क्रेन (गुस निगीकोसित)
6. बाज (एविकोडा जीरडोरी और ए० ल्यूफोटिस)
7. हर्ष ध्वनि चकौर (सेन्ट्रोस बालिषी)
8. चकौर पार्टरिज (एलेक्टोरिस शुकार)
9. गरुड़ (एक्सीपिट्रडी)
10. शिकरा (फाल्कोनिडी)
11. सुनहरी गरुड़ (अक्कीला शुएटस)
12. बृहत भारतीय सोहन चिड़िया (कोरिटिस निगीसेम्)

13. बृहत भारतीय हार्नबिल (बसरस बाइकारमिस)
14. हार्नबिल (बसरोटीडी)
15. बाज (एक्सीपिट्रडी)
16. ह्यूम्स फीजेन्ट (सिरमेटिकस ह्यूमी)
17. हर्डिड क्रेन (युस बनीषा)
18. हिल पार्टरिज (जेनस आबम रोपिला की सभी उपजातियाँ)
19. हाँसा बस्टार्ड (शालैमिडोटिस अनबुलेटा)
20. इन्डियन हिल मैना (ग्रेक्युला रिलीजिओसा)
21. जरडन्स केसर कोसेरियस बिटरगाटेस)
22. जंगली कुक्कट; लाल और भूरी किस्म के (गेलस गेलस और जी० सीनेरेटी)
23. जटायु या दाढ़ी वाला गिद्ध (जिगेटस बारकेटस)
24. बृहत सीटी वाला टील (अनाटिडी)
25. बड़े बाज (फाल्को प्रेग्रिन्स, फ० बाइग्रानिक्स और फ० शिकरा)
26. मानेल फीजेन्ट (इम्पेराज) (लोफोफारेस इम्पेयानस)
27. पहाड़ी बटेर (अफ्रीशिया सुपरसिलिओसा)
28. नारकोन्डस हार्नबिल (रिटिसरोस अन्डयूलेटस और रि० नारकोन्डेंगी)
29. नकटा और काम्ब डक (सारकिडिओरनिस मेलानाटोस)
30. निकोबारी मेगापोड (मेगापोडियस फोयोनेट)
31. निकोबारी कबूतर (कोलम्बिया पालम्बोइडिस)
32. उल्लू (स्ट्रिप्पीफोरमेस)
33. पैराडाइज प्लाइकचर (क्षेत्रीय पैरा-डिसी)
34. मोरचे (पोलिप्लेकडोन बाइबल-क्रेटम)
35. मोरनी (पावोक्रिस्टेसट, पूंछ के पंख तथा उनसे बनी हुई सामग्री इसमें शामिल नहीं है)।
36. गुलाबी सिर वाला बतख (रोडोनिना कैरियोपिलसिया)
37. स्मर फायल (जीनस गेलोपरडिक्स)
38. राज हंस (एनाटिडेई)
39. स्केलटर-मोनल (लोफोफारेस स्केलटरीज)
40. साइबेरिया का सफेद सारस (गुस ल्यूकोजेनरस)।
41. ट्रेगोपन चकोरी (ट्रेगोपन मैलेनोसेप्लेस ट्रेगोपन बलीषी, ट्रेगोपन सत्यरा, ट्रेगोपन अटेमिन की)
42. सफेद पेट वाली समुद्री नील (हैलीएटस लेयुरकोगेस्टर)
43. सफेद कान वाली चकोरी (क्रोसोटिलन)
44. सफेद पंख वाली बुड बतख (कैरिना स्कुयुलेटा)।

(घ) कीड़े :

1. तितलियाँ एवं पतंगे (लोपीडोपेटेरा)
2. धिड़रा (ओडोनाटा)
3. (1) केला सर्कस (सीडॉलिंग पोधा)
(2) काजू पोधा
(3) भारतीय आलू बुखारे का पोधा
4. सभी प्रकार के समुद्री शैवाल

5. गेहूं और गेहूं का आटा जिसमें सूजी और रवा भी शामिल है।
6. निम्नलिखित तेल के बीज
 - (1) केस्टर बीज
 - (2) चिनोली
 - (3) झलसी
 - (4) सूर्यमुखी फूल के बीज
 - (5) सोयाबीन
7. नारियल, सुखाया या नारियल और खीररा
8. तेल बीज से भिन्न निम्नलिखित बीज
 - (i) काजू बीज
 - (ii) घनिया और नरसीन बीजों से भिन्न हरी चाय के बीज
 - (III) गुड़ बीज (सम्पूर्ण)
 - (iv) पटसन बीज
 - (v) नीम्बू चास के बीज और जड़ें
 - (vi) मेस्ता बीज
 - (vii) पेपर कटिंग या पेपर की बटिड कटिंग
 - (viii) टेरोकपिस सेन्टालिस (लाल सेंडर्स) बीज
 - (ix) रबड़ बीज
 - (x) ससा चास-बीज और टपटस
 - (xi) सेन्टालम एल्बम (चन्दन की लकड़ी) बीज
 - (xii) बीज, तना और जड़ें, सूखी तथा हरी दोनों रोबुल्फिया की सभी किस्में जिसमें रोबुल्फिया सर्वेटिना शामिल हैं।
 - (xiii) मिर्च की वनमैथी (वर्सिम) ट्रिफोलियम एलेक्से-न्ड्रियम बीज
 - (xiv) लवरीन (अल्फा) मेडिकेगो सतिवा बीज
 - (xv) पर्णियन वनमैथी (शफताल) ट्रिफोलियम रिसफर्वेंटम बीज
9. चिकरी जड़ें
10. डायसजिमिन और डायसकोरिया जड़ें
11. चिनकोना बीज और छाल
12. 9 प्रतिशत से अधिक प्रोटीन वाले गुड़ गोंद
13. निम्नलिखित गोंद और रेजिन ओलियो-रेजिन्स एक्सपीनस लागोफोलिया
14. कच्ची लाख, किरलख, मोलम्मा, पेसवा, लाखपूर और कोई भी लाख जिसमें जीवित कीड़े हों।
15. गोचर्बि (भारतीय भेंस की चर्बी सहित)
16. निम्नलिखित वनस्पति तेल
 - (i) केस्टर तेल
 - (ii) नारियल तेल
 - (iii) चिनोली का तेल
 - (iv) मूंगफली का तेल
 - (v) झलसी का तेल
 - (vi) सेलाव तेल
 - (vii) सूर्यमुखी फूल के बीज
17. (i) 15 जून से 15 अगस्त की अवधि के दौरान संसाधित मेंडक की टांग।
(ii) मेंडक की टांग जो गिनती में प्रति कि०ग्राम 80 से कम हों।
18. खंडसारी चीनी
19. चावल की भूसी, कच्ची और लबली हुई
20. (i) मूंगफली की खली (निष्कासक किस्म की)
(ii) तेल रहित मूंगफली की खली जिसमें 1 प्रतिशत से अधिक तेल हो।
21. झलसी बीज निष्कासक खली
22. निम्नलिखित खनिज, अम्लक और सार :—
 - (i) रतन कोटि से भिन्न बेरिल
 - (ii) रेडियम अम्लक और सार
 - (iii) थोरियम अम्लक और सार
 - (iv) यूरेनियम अम्लक और सार
 - (v) तांबड़ा या सोना निकालने के बाद सार से बचे हुए टेलिंग वाले यूरेनियम
 - (vi) जिरकोन पत्थर के अर्द्ध बहुमूल्य सहित जिरकोन अम्लक और सार
 - (vii) कुछ अन्य खनिज जिनमें उपर्युक्त वस्तु सहायक अंश के रूप में शामिल हैं जिनमें निम्नलिखित यह भी शामिल हैं :—
 - (क) कालमबाइट
 - (ख) मोनाजाइट
 - (ग) समर्सकाइट
 - (घ) यूरेनिफेरस एलेनाइट
 - (viii) जस्ता अम्लक
 - (ix) बटाइट
 - (x) क्रोम अम्लक और सार
 - (xi) जस्ता-सार
 - (xii) बेनेडियम अम्लक और सार

- (xiii) बेनेडियम काले लोह अयस्क जिनमें 0.2 प्रतिशत से अधिक बी० ओ० शामिल है।
23. अन्नक स्पिलिटिंग भाग 'ख' की मद सं० 46 में विशिष्ट-रक्त को छोड़कर
24. क्रिओसोट तेल (हल्का और भारी) कोलतार और ऐसे मिश्रण जिनमें कोलतार हो।
25. निम्नलिखित धातु और उनके मिश्रण :—
- (i) बेरिलियम और इसके मिश्रण
 - (ii) लिथियम और इसके मिश्रण
 - (iii) नेप्ट्यूनियम और इसके मिश्रण
 - (iv) प्लूटोनियम और इसके मिश्रण
 - (v) रेडियम और इसके मिश्रण
 - (vi) थोरियम और इसके मिश्रण
 - (vii) यूरेनियम और इसके मिश्रण
 - (viii) जिरकोनियम और इसके मिश्रण
 - (ix) इरेडियम, हरिडोसमाइन और अस्मिरिडियम
 - (x) सेलेनियम
 - (xi) ड्यूटेरियम मिश्रण
 - (xii) पारा
26. (i) कच्चा प्लेसेन्टा, प्लेसेन्टल ब्लड/प्लस्मा
- (ii) सम्पूर्ण मनुष्य रक्त, प्लस्मा और सभी उत्पाद जो मनुष्य रक्त से निकाले गए हों किन्तु मनुष्य गामा ग्लोबुलिन और मनुष्य सीरम अल्बुमिन जो मनुष्य प्लेसेन्टा और मनुष्य प्लेसेन्टा रक्त से विनिर्मित हो उसे छोड़कर।
- (iii) निम्नलिखित ब्लड गुर्हापण सेरा :—
- एन्टि (आर एच ओ) डी
27. निम्नलिखित रसायन :—
- (1) पोलिथेलिन (एल डी)
 - (2) पोलिथेलीन (एच डी)
 - (3) ऐसिटोन
 - (4) सायन्यूरिक क्लोराइड
 - (5) एथिलीन आक्साइड
 - (6) आइसोप्रोपिल एल्कोहल
 - (7) सिन्थेटिक रबड़]
 - (8) नेप्येलीन
 - (9) एथेलीन ग्लाइकोल
 - (10) डि-एथेलीन ग्लाइकोल
 - (11) पोलिथेल न ग्लाइकोल
 - (12) मिथिल आइसोब्यूटिल कीटोन
 - (13) क्लोरोक्वीन फास्फेट
 - (14) 2-इथिलहेक्सेनल
28. उर्वरक सभी प्रकार के जिनमें सुपरफास्फेट शामिल है।
29. राक फास्फेट
30. देवदार तेल गैर आई एस आई विशिष्टकरण के।
31. जीरेनियम तेल
32. सभी प्रकार की कच्ची चर्म तथा खालें (मेमने की फर खाल, कच्चा और पिकल्ड को छोड़कर)
33. निम्नलिखित लकड़ी और इमारती लकड़ी
1. डिप्टेरोकपिस एस पी पी, अन्दमान से भिन्न
 2. मॅपिल के कंटीले बीजकोष और ठूट (एसीईआर एसपीपी)
 3. बल्सा (आक्रोमा लिगोपस)
 4. कंटीले बीजकोष, ठूट जड़े और लांग जिनमें जड़े या अखरोट का कोई भी भाग शामिल हो (जगलान रेगिया)
 5. सेमल (बम्बान मालाबेरिकम)
 6. बिल्ली (सेलिक्स एसपीपी)
 7. होल्लाक (टर्मिनलिया माइरियोकापी)
 8. गमारी (गमेलिना एस पी पी)
 9. शहतूत (भोरस एल्बा)
34. कागज वर्ग की लुगदी जिसमें बांस की लुगदी शामिल है।
35. रेशम के कीड़े
36. हाथ से बुने हुए रेशम के कपड़े
37. भगोरा बकरी के बाल या मोहैयर
38. आयातित ऊन से विनिर्मित दरी के रेवे
39. ऊन रद्दी
40. नरम सूती अवशेष और पीनी पिक्स
41. निम्नलिखित धातु
- (i) ताम्बा
- इलेक्ट्रोलिटिक, अग्नि से शुद्ध किए हुए एवं बलिस्टर ताम्बा सिल्लियो, तार, उलाखों, ब्लूम्स, स्लेम्स, केकम, खाइल्स, ईट, बिलेट्स स्क्रैप और केथोड्स के रूप में।
- (ii) निकल; अनूराट और निकल प्लेट्स
 - (iii) एल्यूमीनियम अनूराट

- (iv) मेन्नीशियम
- (v) पिग लेड अन्राट
- (vi) जस्ता या स्पेल्टर अन्राट
- (vii) टिन, अन्राट और राट
- (viii) बिस्मथ
- (ix) कोबाल्ट, अन्राट और राट
- (x) मोलिब्डिनम
- (xi) प्लेटिनम, अपरिष्कृत और शुद्ध, अन्राट
- (xii) टंगस्टन
- (xiii) वेनेडियम,

42. विन्टेज मोटर कार्स और मोटर साइकिल और पुर्जे एवं उनके संघटक अर्थात् मोटर कार्स और मोटर साइकिल जो 1940 या इससे पूर्व माडल की हों।

भाग 'ख'

वे मर्दे जिनका निर्यात गुण-दोष या उच्चतम सीमा के अधीन या समय-समय पर विशिष्टकृत की जाने वाली अन्य शर्तों के अधीन है।

1. खच्चर
2. पशु
3. जीवित भेड़ तथा बकरी (जिसमें भेड़ एवं किड्स भी शामिल हैं)
4. निम्नलिखित जन्तु (मृत या जीवित या उनका अंश या निर्मित उत्पाद) :—

(ए) स्तनधारी :

1. अन्दमन जंगली सुअरी (सस अन्डमनेसि)
2. भी भी करने वाली हिरण या मंजक (मंतिआक्स मंजक)
3. बुश जैसी पूछ अथवा बंगाली सेह (ऐथेक्'स मेक्रोरस)
4. मेहरल अथवा नरली भेड़ (स्यूडोडस नायुर)
5. चीतल (सर्वस एक्सिज)
6. फेरट बैजर (मोलोगेल मो चाटा तथा मेलोगेल परसोनाटा)
7. रोएदार चौपाया (मस्टेला अरमाडा या)
8. खरगोश (काली गर्दन वाला, सामान्य भारतीय, रेगिस्तानी, हिमालय का पहाड़ी खरगोश)
9. कंटमुष (गनैस मेमिचीनस एव पारेख ईनस)
10. हिमालयी काला रीछ (सिलेनेरेक्वौस थिवेटनस)
11. हिमालयी शिखाहीन रीछ (हिस्ट्रिक् होजसोमी)
12. बड़े-बड़े सिंगवाली हिमालयी बकरी (केप्रा आइबेक्स)
13. हिमालयी थेर (हेमीट्रेगसज्जलाहिकस)

14. होगे बेडगर (अर्कटोनिमः क्लोजरिज)
15. सुअर हिरण (एक्सिज पोरसिनस)
16. हाइएना (हाइएना हाइएना)
17. लीफ मंकी (फेस्वाइटिस फेरी)
18. मारमीटस (मारमीटस ब्लाक-बैक-मैरी, मारमीटस कौडाटा)
19. नेवला जैसी एक जन्तु (माटेस ग्लाताकेसी एवं एम० फ्लेबिगला)
20. नील गाय अथवा सांड (बोसलापन्स ट्रुगोकेमलस)
21. नीलगिरी थेर (हेमोट्रेगस हाइलाक्रीयस)
22. बिज्जू (मेल्लोबोरा कैपिनस)
23. लाल लोमड़ी (लप्स वल्प्स)
24. साभर (सर्वस यूनिकोर)
25. तिब्बती लोमड़ी (बल्प्स मोनटारना)
26. तिब्बती भेड़िया (कोनिस लुपस)
27. कधियान्याल (मस्टेला सिविरिका, मस्टेला काथया तथा मस्टेला अल्टेका)
28. जंगली सुअर (सस स्क्रोफा)

(बी) पक्षी :

1. बसन्ता (केपिटोनेडे)
2. एस्तक (टाइटानिने)
3. नीला पक्षी (ग्राइरमाइडेयी)
4. भारीट (ए ब्रीजाइडेई)
5. दौड़ने वाले बटेर (टर्नोसिडेई)
6. नान्दे चटक (फिन्गिलिनेयी)
7. सारस (ग्रडेयी)
8. बतख (एनाटिडेयो)
9. चुडबकुले (बुबुलस ईविस, एग्रटाअल्वा, एग्रेटा गारजेटा, एग्रेटा इंटर गिडिया)
10. मरकत फाख्ता (कोम्बोडेयो)
11. कालंग (फिन्गिलिनयो)
12. राजहंस (पिम्प्रीनिकापटरिडेय)
13. रालभाष (म्यूसिसपिडेयी)
14. गीज (एनटिडयो)
15. स्वर्गचटक तथा समवर्गी (कार्डेयूनिनयी)
16. तिनरी (पिट्रोविटडेई)
17. आयरेम (आरिनिडेय)
18. किगाफिशर्स (सिरेली रुडस, एल्सेडी एल्टिस हैलिमिस्तेन-सिस)

19. दीर्घ चरण पक्षी (मेगायोडिडेयी)
 20. काचन (ओरियन्डेयी)
 21. शांखिनी (हेमाटेपोडिडेय)
 22. नलसिंह (पीलकोनिडेयी)
 23. तीतर (फोसिनिडेयी)
 24. चकौर (फोसिनिडेयी)
 25. कबूतर (ब्लू राक कबूतर को छोड़कर (कोलम्बिडेरी)
 26. पितास (पिट्टीडेयी)
 27. बटेर (फीसिनिडेयी)
 28. साइप (केरेट्टीडेई)
 29. शांजिरिका (नीटेरिनाईडेई)
 30. ट्रगान्य (होगोनिडेई)
 31. नैना (म्युसिओपिडेयी)
1. लघुपूँछ धानर (कमकाफ(मुलट्टा)
 2. मयूर पूँछ पंख (पेच क्रिस्टटैस)
 3. भारतीय हाथी (एल्फैस मेक्सीमस) जिसमें हाथी दांत और हाथी दांत से बने उत्पाद शामिल हैं ।

(डी) अन्य

6. जीवित मेंढक
7. गौमांस (भारतीय भैंस का मांस जिसमें दल, जिगर फेफड़े, भगज जबान, किडनीज और अन्य अंग शामिल हैं)
7. निम्नलिखित समुद्री उत्पाद

(i) सूखी तथा गीली नमकीन मछली उत्पाद :—

- (1) सूखी नमकीन और बिना नमक के मछली
- (2) सूखी नमकीन और नमक रहित प्रान
- (3) गीली नमकीन मछली
- (4) मछली का आचार
- (5) मछली मील और मछली गुआनो
- (6) मछली के मुख
- (7) शार्कफिस
- (8) मछली का तेल
- (9) बीच-डि-मेयर

(ii) ताजे, जीवित, जमाए हुए और डिब्बा बन्द उत्पाद

- (1) ताजा मछली
- (2) जीवित लीबस्टर्स, कवच, मछली एवं मछली
- (3) जमाई हुई मछली और प्रान्स

(4) जमाए हुए लोबस्टर्स टेल, क्रेब्स, मेढ़क और मेढ़क की टांग (जो भाग 'क' की प्रविष्टि सं० 17 के अन्तर्गत नहीं आती)

(5) जमाई हुई बड़ी सीपियां, शुशितयां आदि

(6) डिब्बा बन्द मछली, प्रान्स, क्रेब्स, कलेम्स मसल्स आदि ।

(iii) अन्य विविध समुद्री खाद्य उत्पाद

1. शुशितयां
2. मछली के अंडे
3. एपयूरियम मछली एवं पौधे
4. कटल मछली हुई

(iv) अन्य समुद्री उत्पाद

मेढ़क और मेढ़क की टांगें जो कि ऐसे एकलों में निर्यात के लिए ससाधित किए जाते हैं जो निर्यात के प्रयोजन के लिए समुद्री उत्पादों के संसाधन के लिए आवश्यक रूप में लगे हुए हैं ।

8. प्रान्स से भिन्न सूखी मछली, शार्क फिस, मछली के जबड़े, बीच-डि-मेयर, बम्बईया बतख और अन्य सूखी शेल मछली ।
9. मछली जलाडक
10. शुद्ध वेसी घी
11. ब्रिस्टल
12. खाल तथा चर्म की कटिंग्स और मांस आदि जो पशु ग्लू जिलेटाइन के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है
13. हड्डिया
14. पशु बाइल, गालस्टॉन, गोरोचन
15. ताजे फल एवं वनस्पतियां
16. निम्नलिखित वनस्पतियां
 - (1) प्याज
 - (2) आलू
17. सूखी खुम्बी
18. इलायची छोटी तथा बड़ी
19. चूर्ण से भिन्न सूखी मिर्च
20. भाग 'क' में उल्लिखित से भिन्न गेहूँ और आटा
21. दालें मसूर चने और बीन और इनसे तैयार आटा
22. जौ
23. निम्नलिखित तेल-बीज :—

(i) भूगफली, एचपीएस की किस्म सहित, छिलके और गिरी दोनों में ।

- (ii) सरसों तोरी बीज
(iii) तिल बीज
24. निम्नलिखित बीज, तेल-बीज से भिन्न
(i) धनिया की किस्म के हरे खाद बीज
(ii) सम-हेम्प बीज
(iii) भालू के बीज
(iv) गला बीज, गेहूँ के बीज सहित
(v) वन बीज जिसमें पेड़ के बीज, बाड़ के बीज और तरवर बीज शामिल हैं।
(vi) सजावटी पौधे के बीज
25. नक्स बोमिका बीज, छाल, पत्ते जड़े और उनके चूर्ण
26. पाइरेथ्रम फूल
27. भाग 'क' की मद सं० 14 में उल्लिखित से भिन्न चपड़ा लाखदाना, बटन लाख, गार्ड लाख और अन्य रूप में लाख
28. कुथ
29. गुड़ मील और गुड़ की चूर्ण चूरी
30. बेटल बार्क
31. निम्नलिखित वनस्पति तेल
(i) सरसों का तेल तोरी बीज तेल
(ii) तिल-बीज तेल
32. हाइड्रोजनीकृत तेल (वनस्पति घी)
33. चीनी
34. जगूर (गुड़)
35. सीरा
36. ईथिल एल्कोहल या किसी भी प्रूफ डिग्री के रेक्टिफाइड स्प्रिट चाहे डिनेचर हो या नहीं हो।
37. आम का रस
38. तेल रहित चावल भूसी
39. गेहूँ की भूसी
40. तेल रहित मूँगफली की खली (अर्क)
41. विलायक निकाले हुए बिनोले की खली (डिकार्बोनेटिड और अ-डिकार्बोनेटिड)
42. ताप अभिसाधित वर्जीनिया तम्बाकू, धूप अभिसाधित वर्जीनिया तम्बाकू, धूप अभिसाधित रूटू (देशी) तम्बाकू और धूप अभिसाधित जट्टी तम्बाकू
43. सभी प्रकार के नमक
44. सीमेन्ट
45. निम्नलिखित खनिज, अयस्क और कन्सेन्ट्रेट
(i) बाक्साइट
(ii) लौह अयस्क
(iii) ताम्बा अयस्क और कन्सेन्ट्रेट
(iv) लेड अयस्क और कन्सेन्ट्रेट
(v) मैंगनीज अयस्क
(vi) जिप्सम और जिप्सम के एन्हाइड्राइट
(vii) बेरियेट्स (लम्पस और चूर्ण)
(viii) मेन्गेसाइट (कच्चा, डेड बर्नट और केलमाइन्ड)
(ix) कायनाइट
(x) सिलिमेनाइट
(xi) बोल्सटोनाइट
46. अभ्रक जिसमें निम्नलिखित किस्म के अभ्रक स्पलिटिंग भी शामिल है।
(1) नं० 1 बुकफार्म स्पलिटिंग क्वालिटी i एवं क्वालिटी ii
(2) नं० 2 बुकफार्म स्पलिटिंग क्वालिटी i एवं क्वालिटी ii
(3) नं० 3 बुकफार्म स्पलिटिंग क्वालिटी i एवं क्वालिटी ii (एसी ग्रेडिंग 40 एवं 50 वर्ग सें० मी०)
(4) नं० 4 बुकफार्म स्पलिटिंग क्वालिटी i और क्वालिटी ii
(5) नं० 4½ बुकफार्म स्पलिटिंग (एसी ग्रेडिंग 30 वर्ग से० मी०) क्वालिटी i एवं क्वालिटी ii
(6) नं० 5 बुकफार्म स्पलिटिंग (एसी ग्रेडिंग 20 वर्ग सें० मी०) क्वालिटी i एवं क्वालिटी ii
(7) नं० 5½ बुकफार्म स्पलिटिंग (एसी ग्रेडिंग 10 और 15 वर्ग से० मी०) क्वालिटी-i और क्वालिटी-ii
(8) नं० 6 बुकफार्म स्पलिटिंग (एसी ग्रेडिंग 7 वर्ग से० मी०)
(9) नं० 1 लूज स्पलिटिंग डस्टिड अथवा अनडस्टिड
(10) नं० 2 लूज स्पलिटिंग डस्टिड अथवा अनडस्टिड
(11) नं० 3 लूज स्पलिटिंग डस्टिड अथवा अनडस्टिड
(12) नं० 4 लूज स्पलिटिंग डस्टिड अथवा अनडस्टिड
(13) नं० 4½ लूज स्पलिटिंग डस्टिड अथवा अनडस्टिड
(14) नं० 5 लूज स्पलिटिंग डस्टिड अथवा अनडस्टिड
(15) नं० 5½ लूज स्पलिटिंग डस्टिड अथवा अनडस्टिड
(16) नं० 6 डस्टिड लूज स्पलिटिंग
(17) नं० 6 प्रथम लूज स्पलिटिंग
(18) नं० 6 द्वितीय लूज स्पलिटिंग
(19) नं० 6 तृतीय लूज स्पलिटिंग
(20) नं० 6 चीप लूज स्पलिटिंग

(21) काला डाटिड या काला स्पाटिड एंव फोको फाट्ट स्पलिटिंग

(22) (क) अन्नक कलरन एवं अन्नक अवशेष

(ख) निम्नलिखित अन्नक कटिंग कारखाना

(i) चाकू द्वारा ड्रेसिंग में प्राप्त कटिंग्स या दरांती से ड्रेस किया हुआ अन्नक ब्लाक एवं थिन्स,

(ii) हाई-रिचिंग की कटिंग्स या ब्लाक और थिन्स की गुलोटाइन कटिंग्स ; एंव

(iii) हाई-पन्च कन्डेन्सर फिल्मस् की कटिंग या कैची या गुलोटाइन द्वारा उनकी ड्रेसिंग

(23) न० 4 टाप बुकफार्म स्पलिटिंग (7½ वर्ग इन्च से 10 वर्ग इन्च) रसी ग्रेड 50 टाप बुकफार्म स्पलिटिंग (50 वर्ग से० मी० किन्तु 65 वर्ग से० मी० से कम)

(24) स० 5 टाप बुकफार्म स्पलिटिंग (2½ वर्ग इन्च किन्तु 5 वर्ग इन्च से कम) ।

टिप्पणी :— उपर्युक्त प्रविष्टि 23 और 24 में विनिर्दिष्टकृत सभी बुकफार्म स्पलिटिंग में

- (1) रुबी बुकफार्म या बुक पैक स्पलिटिंग
- (2) रुबी क्लीयर बुकफार्म या बुक पैक स्पलिटिंग
- (3) ग्रीन बुकफार्म या बुक पैक स्पलिटिंग और
- (4) ग्रीन क्लीयर बुकफार्म या बुक पैक स्पलिटिंग भी शामिल होगी ।

(25) न० 4 टाप लूज स्पलिटिंग डस्टिड या अन्डस्टिड (7½ वर्ग इन्च से 10 वर्ग इन्च) रसी ग्रेड 50 टाप लूज स्पलिटिंग डस्टिड या अन्डस्टिड (50 वर्ग से० मी० किन्तु 65 वर्ग से० मी० से कम)

(26) न० 5½ टाप लूज स्पलिटिंग डस्टिड या अन्डस्टिड (2½ वर्ग इन्च किन्तु 3 वर्ग इन्च से कम) —रसी वर्ग 15 टाप लूज स्पलिटिंग डस्टिड या अन्डस्टिड (15 वर्ग से० मी० किन्तु 20 वर्ग से० मी० से कम)

(27) न० 6 मध्यस्थ या मध्य लूज स्पलिटिंग

टिप्पणी :— उपर्युक्त प्रविष्टि 25, 26 एवं 27 में विनिर्दिष्टकृत सभी लूज स्पलिटिंग में (1) रुबी लूज स्पलिटिंग (2) रुबी क्लीयर लूज स्पलिटिंग (3) क्लीयर लूज स्पलिटिंग (4) ग्रीन लूज स्पलिटिंग और (5) ग्रीन क्लीयर लूज स्पलिटिंग ।

(28) भारतीय ब्लाक अन्नक

(29) भारतीय कन्डेन्सर अन्नक फिल्म

(30) भारतीय ब्लैक स्पाटिड बुकफार्म लूज स्पलिटिंग क्लीयर लूज स्पलिटिंग एंव टार्न लूज स्पलिटिंग ।

(31) न० 6 स्टैन्ड लूज स्पलिटिंग

47 (i) कोयला एंव कोक (ii) नारियल की खोपड़ी के चारकोल सक्रिय नारियल खोपड़ी के चारकोल से भिन्न चारकोल ।

48 सभी प्रकार के खनिज तेल, जि० में अपरिष्कृत तेल, मिट्टी का तेल ईंधन तेल, सुब्लिमेटिंग तेल ग्रीज पेट्रोल, मिश्रण तेल, खनिज तरपनताइन, बिटुमन, अस्फाल्ट शामिल है ।

49. निम्नलिखित रसायन

1. बेजीन
2. ब्यूटिल एल्कोहल
3. ब्यूटिल ऐसिटेट
4. मानोक्लोरो ऐसिटिक एसिड
5. टोलीन
6. ट्रिक्लोरो एथिलीन
7. पेरक्लोरो एथिलीन
8. टेट्रा क्लोरो एथेन
9. फिनोल
10. थेलिक एनिहाइड्राइड
11. रबड़ रसायन
12. ऐसिटिक एसिड
13. सोडा राख
14. ऐसिटिक एनिहाइड्राइड

50. कुनीन, कुनीन उत्पाद और सिन्कोना अल्कलायड

51. सिन्थेटिक कस्तूरी

52. नीम्बूचास तेल

53. चन्दन का तेल

54. साल तेल

55. एक्सपोज्ड सिनेमाटोग्राफिक फिल्म (फीचर और फीचर से इतर) किन्तु 8 एम एम और 16 एम एम की फीचर से इतर फिल्म जिनकी लम्बाई 120 मीटर से अधिक न हो उसे छोड़कर ।

56. पी० बी० सी० मिश्रण

57. स्टेरीन मानोमर

58. प्राकृतिक रबड़

59. अर्द्ध-ससाधित चर्म तथा त्रालें जिनमें तूँतों भारत के कमाए हुए वेट ब्लू चर्म तथा खारे और पपड़ीदार चमड़ा शामिल है ।

60. भाग 'क' की मद स० 33 में उल्लिखित में भिन्न लकड़ी और इमारती लकड़ी
61. हाथ से बने हुए कागज को छोड़कर सभी प्रकार के लेखन एवं मुद्रण कागज
62. (i) कच्चा रेशम
(ii) शुद्ध रेशम के रेशे
(iii) निम्नलिखित रेशम अवशेष :—
(क) तूत से इतर रेशम अवशेष (दूर), और (मृगा) एव तूत छेदित कोकून
(ख) ओस्टर रेशम अवशेष
(ग) तूत रेशम अवशेष जिसमें साफ किए हुए दक्षिण भारत मूल के डिगमूड रेशम अवशेष
(घ) दक्षिण भारत मूल के हाई रेशम अवशेष
(ङ) रेशम अवशेष की अन्य किस्म अर्थात्
1. उबाले हुए कोकून
2. बेसिन रिफ्यूज
3. फलफाफलास
4. फिल्माजि कोकून
5. नायल और नायल ड्रापिंग्स
6. अनुमूची—1 में जो कहीं भी उल्लिखित न हों तूत रेशम अवशेष की अन्य सभी किस्म
63. रीनिंग कोकून सहित रेशम-कीड़ा बीज और रेशम-कीड़ा कोकून
64. निम्नलिखित हाथ से तैयार किए गए फाइबर तथा यार्न
(i) नाइलॉन टायर यार्नकार्दफेब्रिक
(ii) (क) रेयन टायर यार्न 850 और इससे अधिक डेनियर के
(ख) अभी डेनियर के रेयन टायर यार्न
(ग) रेयन टायर फेब्रिक
(iii) 50 प्रतिशत से अधिक सिन्थेटिक फाइबर के सिन्थेटिक मिश्रित यार्न
(iv) नाइलॉन प्लामेंट यार्न
(v) नाइलॉन स्पल फाइबर
(vi) पोलिएस्टर गाइबर
(vii) पोलिएस्टर प्लामेंट यार्न
(viii) रेयन फिलामेंट यार्न
(ix) विस्कोस स्टेपल गाइबर
(x) विस्कोस स्टेपल गाइबर स्पन यार्न
(xi) अन्य कोई सेलूलोसिक या सिन्थेटिक फाइबर या यार्न जो उपर्युक्तविशिष्टीकृत नहीं है ।
65. कच्चा ऊन (देशी) अंगोरा बकरी के बाल या मोहैयर को छोड़कर
66. धागा, आयातित ऊन से निर्मित कालीन के धागे में भिन्न
67. बकरी के बालों की पट्टियां
68. कच्ची रुई
69. सूती धागा
70. निम्नलिखित कपड़ा :—
(i) टेक्सटाइल कपड़ा और उसकी सामग्री, जैतूनी हरी धारी की, अमली और नकली रेशम वस्त्र और उनकी होजरी भी शामिल है, को छोड़कर
(ii) टैन्टेन्ट का कपड़ा
(iii) 'इटावा स्ट्राइप्स' के नाम से ज्ञात हथकरघा की बिस्तर की पट्टीदार चद्दरे
(iv) गैर तेज रंगों लुगी डिजाइन का हथकरघा का कपड़ा (इसमें ब्लीडिंग प्रोपरटीज भी शामिल है) और उससे बनी हुई पोशाकें, यू० के० को निर्यात के अतिरिक्त
(v) सूती धान या निर्मित वस्तुओं जिनमें पोशाक भी शामिल है का यू० के० को निर्यात परन्तु इसमें निम्नलिखित शामिल नहीं है :—
(क) सूती कालीन, सूती मदे, सूती दरियां सूती शाल और
(ख) हाथ/हथकरघा द्वारा बनाया गया सूती माल जिसमें साथ-साथ यह भी शामिल है :
1. गैर-तेज रंगों की लुगी डिजाइन का हथकरघा का कपड़ा जिसमें ब्लीडिंग प्रोपरटीज वाला कपड़ा और उससे बनी पोशाकें शामिल हैं ;
2. "इटावा" स्ट्राइप्स के रूप में ज्ञात हथकरघा की बिस्तरों की धारीदार चद्दरे और
3. हस्तनिर्मित सूती नैटिंग
(vi) सूती वस्त्रों की सभी 64-आई० सी०टी०ए० श्रेणियों का संयुक्त राज्य अमरीका को निर्यात
(vii) मिल सूती वस्त्रों और मिल निर्मित हथकरघा निर्मित वस्त्रों के उत्पाद जिनमें तैयार पोशाक भी शामिल हैं, का आस्ट्रिया को निर्यात
(viii) मिल निर्मित सूती वस्त्र का पश्चिमी जर्मनी, फ्रांस, इटली, बेलजियम, लक्सबमर्ग, डेन्मार्क और आयरलैंड को निर्यात ।
(ix) मिल निर्मित/हथकरघा निर्मित सूती ब्लाउजों, कमीजों, जैकिटों और बैड लिनन का स्वीडन को निर्यात ।
(x) कमीजों, ब्लाउजों और सूती बैड लिनन का नार्वे को निर्यात

- (Xi) महिलाओं, लड़कियों और बच्चों के लिए मिल निर्मित/हथकरघा सूती बुने हुए ब्लाउजों और कमीजों का और महिलाओं और लड़कियों के लिए ट्रैसों का आस्ट्रेलिया के निर्यात
71. कच्चा पटसन, मेकता और पटसन के टुकड़े कैंडीज को छोड़कर
72. नारियल और नारियल जटा
73. (i) फारसी और मोबारिक डिजाइनों के हाथ से बुने हुए ऊनी कालीन, 32000 गांठ प्रतिवर्ग मीटर तक।
(ii) हाथ से बुने हुए ऊनी कालीन, नमदे और मोटा वस्त्र, फारसी और मोबारिक डिजाइनों से भिन्न।
74. रेशम के कालीन और सिन्थेटिक/मिश्रित और या समपूक्त रेशे से बने कालीन
75. सलाई से बुने हुए पहनावे (ऊनी और मिश्रित)
76. जूते, सभी किस्म के
77. (i) बुलियन चांदी, चांदी के पत्र और प्लेट जिन पर रोलि के बाद निर्माण की कोई प्रक्रिया न की गई हो।
(ii) चांदी के लवण, चांदी के रासायनिक और यौगिक जिनमें चांदी की मात्रा 50 प्रतिशत से अधिक हो।
(iii) पूर्णतः या मुख्यतः चांदी के निर्माण और उत्पाद जिनमें चांदी की मात्रा 50 प्रतिशत से अधिक हो।
78. चांदी के सिक्के
79. मरकतमणि की रत्न किस्म
80. लोहा और इस्पात, ढले लोहे के पाइप और जुड़नार छोड़कर
81. लोह मिश्रधातुएं
82. मिश्रधातु इस्पात
83. लोहस कतरन
84. एल्युमीनियम, गढ़ी हुई और एल्युमीनियम मिश्रधातुएं
85. अलोह धातुएं और मिश्रधातुएं, बिना गढ़ी हुई, इस अनुसूची में और कहीं प्रदर्शित नहीं
86. धातु कतरन, लोहस कतरन से भिन्न, जिसमें 0.50 प्रतिशत से अधिक निकल, या 0.20 प्रतिशत से अधिक मोलिब्डेनम, या 1.00 प्रतिशत से अधिक टंगस्टन, या 0.20 प्रतिशत से अधिक वैनेडियम या 1.00 प्रतिशत से अधिक कोबाल्ट की मात्रा हो और मिल स्केल कतरन।
87. धातुकर्म सम्बन्धी अवशेष जैसे ड्रेसिंग, स्क्रिबिंग, स्लैग, राख स्लाइम और फ्लू इस्ट।
88. रेलों के डिब्बे

89. मोटर व्हीकल और उनके पुर्जे (पुराने स्कैप (पुर्जों को छोड़कर) निम्नलिखित
(i) मोटर व्हीकल अर्थात् लौरी, मोटर ओमनी बॉ, वैन और उसके लिए ढांचे
(ii) मोटर व्हीकल के आयातित पुर्जे
(iii) ट्रक
(iv) ट्रैक्टर
(v) बृहत साइज के टायर और ट्यूब
90. वायुयान और पुर्जे और उनके उप-साधक
91. अस्त्र-शस्त्र, गोलाबारूद और तेजधार के हथियारों जैसे कुकरी, किरपान, क्रिस, शिकार के लिए चाकू तलवार आदि से भिन्न स्थल सेना का सामान

अनुसूची-II

(धारा 4 को देखें)

लाइसेंस प्रदान करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी

- मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात
- अपर मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात
- निर्यात आयुक्त
- संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात
- उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात
- नियंत्रक, आयात-निर्यात
- सीमा शुल्क समाहर्ता
- अधीक्षक सहायक समाहर्ता केन्द्रीय आबकारी
- अधीक्षक/उप-अधीक्षक सीमा शुल्क का चौकी अधिकारी
- उप-विकास समाहर्ता (आयात तथा निर्यात) सान्ताक्रूज, निर्यात संसाधन क्षेत्र, बम्बई।

अनुसूची-III

(धारा 3 को देखें)

खुला सामान्य लाइसेंस

ओ० जी० एल० सं० I

कोई भी व्यक्ति भारत के निकटवर्ती किसी भी देश को जिसका स्वयं का कोई भी समुद्री मार्ग नहीं है, सड़क द्वारा निम्नलिखित मर्दों का निर्यात कर सकता है बश कि वे वस्तुएं इस देश में उपयोग के लिए प्रयोग में लाई जायें :—

अनुसूची—I में शामिल किया गया कोई भी माल जो कि पारगमन यातायात से नियमित कर के लिए निर्धारित क्रियाविधि के अन्तर्गत भेजा गया है।

श्री० जी० एल० सं० 2

जो कोई भी व्यक्ति किसी भी देश को निम्नलिखित वास्तविक नमूने निर्यात कर सकता है, इसमें वह देश शामिल नहीं है जिसके थोड़े समय के लिये किसी भी कानून द्वारा निर्यात प्रतिबन्धित है, अर्थात् :—

क्रम सं०	मद	अनुसूची-1 में मद संख्या
(1)	(2)	(3)
1	हथकरघ वस्त्र के भिन्न भिन्न प्रकार के बी-70 (iv) नमूने जो कि "बिल्डिंग मद्रास" के नाम से प्रायः विख्यात है और उनकी सम्बाई 140 मीटर से कम तथा मूल्य 500/- रुपए से अधिक नहीं है।	
2.	लोहा अयस्क के नमूने जो 30 मेट्रिक टन से अधिक न हों बशर्ते कि माल परेषण निम्नलिखित सक्षम अधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में जाँच किये गए एक प्रमाण पत्र में शामिल हो कि लोहे अयस्क की मात्रा (जुमर्गा के साथ) प्रयोगात्मक	

1 2 3

प्रयोजन के लिये आवश्यक है और यह कि वह मात्रा उस विशेष प्रयोजन के लिये अपेक्षित न्यूनतम मात्रा है।

() प्रभागीय प्रबन्धक (क्रय), खनिज तथा धातु व्यापार निगम, नई दिल्ली, गोआ के अतिरिक्त किसी भी क्षेत्र के लिये।

(ii) लोहा अयस्क सलाकार, गोआ, गोआ लोहा अयस्क के लिये।

(iii) उप-सचिव, खनिज तथा धातु विभाग, नई दिल्ली पूर्वोक्त मद सं० (1) तथा (2) के अन्तर्गत न आने वाले परेषणों के लिये।

3. सभी अन्य मदों के नमूने जिनका मूल्य 300/- रुपए से अधिक नहीं है, निम्नलिखित को छोड़कर :—

(i) अनाज तथा आटा

बी-20

(ii) अनुसूची-1 के भाग 'अ' में शामिल सभी मदें।

श्री० जी० एल० सं० 3

कोई भी व्यक्ति किसी भी देश को निर्यात कर सकता है, किन्तु निम्नलिखित को छोड़कर —

(1) पाकिस्तान, और

(2) वह देश जिसके लिए थोड़े समय के लिए लागू किसी कानून द्वारा निर्यात प्रतिबन्धित है, निम्नलिखित वस्तुओं का निर्यात पलम सख्या 4 में दी गई शर्तों को पूर्ण करने पर किया जा सकता है —

क्रम संख्या	मद	अनुसूची 1 के अनु-सार भाग 'बी' की क्र० सं०	पूर्व की जाने वाली शर्तें प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज
1	2	3	4
1.	निम्नलिखित जंगल जन्तु (मृत या जीवित या उनका अण्डा या निर्मित उत्पद)	बी-4	
	(ए) स्तनधारी		
	1. अन्दमान जंगली पर (सस सरोफा इमानेसिस)		
	2. भी भौं करने वाला हिरण या मंतजेक (मतिआस मंतजेक)		
			1. निर्यात की अनुमति जंगली जन्तु और उत्पादों के पजीकृत निर्यातकों को केवल बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और नई दिल्ली के चार मुख्य पत्तनों के माध्यम से दी जाएगी। केवल सम्बद्ध राज्य के मुख्य जंगली जन्तु वार्डेन द्वारा या जहाँ मुख्य जंगली जन्तु वार्डेन नियुक्त नहीं किया गया है वहाँ मुख्य अरण्य संरक्षक द्वारा या जो अधिकारी राज्य सरकार द्वारा जंगली जीव (अविरक्षण) अधिनियम, 1972 के अधीन

1	2	3	4
	3. ब्रुश जैसी पूछ अथवा बंगाली सेह (एथेरस मेकरारस) 4. पेरल अथवा नीली-बेड़ (स्पूडोइस नायुर) 5. चीतल (सर्वस एक्सज) 6. फ़ैरेट बैजर (मेलानैल मोसचाटा तथा मेलानैल परसोनाटा) 7. रोएदार चौपाया (मस्टला अरमाइनिया) 8. खरगोश (काली गर्दन वाला, सामान्य भारतीय, रेगिस्तानी, हिमालय का पहाड़ी खरगोश) 9. कंटमूष (जेन : स हेमिचिनिस एवं पारेइक की सभी जातियां) 10. हिमालयी काला रोछ (सिलेनेरेक्टिस थिबेट-नस) 11. हिमालयी शिखाहीन साही (हिस्ट्रम होजपानी) 12. बड़े-बड़े नींग वाली हिमालयी बकरी (क्रेपाभ्राइ-बैक्स) 13. हिमालयी धेर (हमीट्रंगसजम्लाहिक्स) 14. होंग बैडगर (भार्कटोनिक्स कोलरिज) 15. सूअर हिरण (एक्सिस पोरसिनस) 16. हाइएना (हाइएना हाइएना) 17. लीफ मंकी (पस्वाइडिय फेरी) 18. मारमोटस (मारमोटा बाबाक हिमालयी, मा मोट कोडाटा) 19. नेला जैसा एक जम्बु (मोर्टेस वातकिन्सी एव एम० पलेबिगुला) 20. नील गाय अथवा नील सांड (बोसलापस ट्रंगोकेमेलस) 21. नीलगिरि धेर (हेमोट्रंगस हाइलोकीयस) 22. बिज्जे (मेल्लोबरा कपाशीसस) 23. लाल लोमड़ी (बल्प्स बल्प्स) 24. सांभर (कार्वस यूनिक्लर) 25. तिब्बती लोमड़ी (बल्प्स मेनटाना) 26. तिब्बती भेड़िया (कैनिस लुपस) 27. कथियान्याल (मस्टेला सिविरिका अल्टेका) 28. जंगली सूअर (सस स्क्रोफा)	जंगली जीव व्यापारियों विनिर्माताओं को इस सम्बन्ध में साइसेंस जारी करने के लिए प्राधिकृत है कि जंगली जीव या निर्यात के लिए प्रस्ताव उनकी खाल और पंख आदि उत्पाद वैध तरीकों से अधि-प्राप्त किए गए हैं उनके द्वारा जारी किए गए वैध प्रमाणपत्र को प्रस्तुत करने पर निर्यात की अनुमति दी जाएगी।	
	पक्षी 1. बसन्ता (फेफ्टोनोड) 2. रुस्तक (टाइटोनिड)		

1	2	3	4
	3. नीला पक्षी (आयरमिडे)		
	4. भारीट (रोजाइडे)		
	5. धींके वाले बटेर (टर्निसिडे)		
	6. नन्ही चटक (फिन्गलिनेयी)		
	7. सारस (ग्रैयेयी)		
	8. बतख (एनाटिडेयी)		
	9. चूड़बकुते (बुबुल्सइबिस, एग्रटाअल्वा, गार- जैटा, एग्रेटा इटर माडिया)		
	10. सरकत फाख्ता (कोलम्बीडेयी)		
	11. कुलिग (फिन्ग लिडेयी)		
	12. राजहंस (फियोनिकापटरिडेयी)		
	13. गलमास (ग्यूसकेपिडेयी)		
	14. गीज (एनाटिडेयी)		
	15. स्वर्णचटक तथा खमबर्गी (काईयूलिनेयी)		
	16. तितरी (पिट्रोकिटिडाइज)		
	17. आयारेस (आयरमिडेई)		
	18. किगफिशर (नेरिलेइडिस, एलिडो आर्लाटस, होलेयम—सिटरेनिसिस)		
	19. धीर्घ चरण पक्षी (मेगापॉ डिडेयी)		
	20. काचन (ओग्योनिडेई)		
	21. शंखनी (हम्भाटपोडिडेई)		
	22. जलसिंह (पेलिकैनिडेई)		
	23. तीतर (पेंबिएनीडेई)		
	24. चकोर (फेबिएनीडेई)		
	25. कबूतर (ब्युराक के अतिरिक्त) (कोलम्बीडेई)		
	26. पिप्ता (पिट्टीडेई)		
	27. बटेर (फेसरनीडेई)		
	28. स्नाइप (केरडीई)		
	29. शाजिरिका (फिटेरीनीडेई)		
	30. ट्रोगोन (ट्रोगोनिडेई)		
	31. मैना (म्यूसिकेपिडेई)		

(सी) अन्य जंगली जन्तु एफोवान्स, रेंगने वाले पक्षी, कीड़े पतंगे आदि जो निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 की अनुसूची में और कहीं विनिश्चित नहीं हैं।

आयात की अनुमति जंगली जीव और उत्पादों के पंजीकृत निर्यातकों को केवल बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और नई दिल्ली के चार मुख्य पसमों के माध्यम से दी जाएगी।

ध्यातव्य : जंगली जीव और उत्पादों के पंजीकृत निर्यातक का अर्थ उस व्यक्ति से है जो संयुक्त मुख्य निर्यातक, आयात निर्यात बम्बई, कलकत्ता,

1	2	3	4
			मद्रास और नई दिल्ली द्वारा जुलाई, 1973 के बाद जारी किये गये पंजीकरण के वैध प्रमाणपत्र का धारक है ।
2.	जीवित मेढक	बी-5	समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकारी, कोचीन के सिफारिश-पत्र प्रस्तुत करने पर ।
3.	गो मांस (भारतीय भैंस का मांस जिसमें हृदय, जिगर, फेफड़े, दिमाग, जीभ, गुर्दे तथा भैंस के अन्य अंग भी शामिल हैं)	बी-6	उस राज्य के पशु सेवा निदेशक द्वारा या उन की ओर से जिस राज्य से निर्यात के लिये मांस निकाला जाता है इस संबंध में प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है कि निर्यात के लिये जो, परीक्षण है, वह केवल भैंस का ही मांस है ।
4.	निम्नलिखित समुद्री उत्पादः—		
	(1) सूखी तथा नम लवणित मछली के उत्पाद :	बी-7	
	(1) सूखी लवणित एवं लवण रहित मछली		
	(2) सूखी लवणित एवं लवणरहित मीने		
	(3) नम लवणित मछली		
	(4) मछली का अचार		पूर्व निर्धारित मूल्य और प्रत्यक्ष बिक्री के आधार पर
	(5) फिश मील तथा फिश गुद्दानों		पक्के आदेश/सविदा के आधार पर ही निर्यात
	(6) मछली के उवर		अनुमेय होगा ।
	(7) शार्कफिश		
	(8) मछली का तेल		
	(9) बोच-डी-मेर		
2.	ताजी, जीवित जमी हुई तथा डिब्बा बन्द उत्पाद :	बी-7	
	(1) ताजी मछली		
	(2) जीवित सेबस्टेस, खोलदार मछली तथा मछली		
	(3) जमी हुई मछली तथा मीने		
	(4) जमी हुई सेबस्टेस की पूछ, केकड़ा, मेढक तथा मेढक की टांगें (जो भाग 'ए' की प्रविष्टि संख्या 17 में शामिल नहीं हैं)		
	(5) जमा हुआ कछुए का मांस, बड़ी सीपी, घोंघा इत्यादि		
	(6) डिब्बा बन्द मछली, मीने, केकड़ा, घोंघे, सीप-दार मछली इत्यादि ।		
3.	अन्य विविध समुद्री खाद्य उत्पाद ।		
	(1) खोल		
	(2) मछली के अण्डे		
	(3) जलाशय मछली एवं पौधे		
	(4) कटल मछली की हड्डी		

1	2	3	4
4.	अन्य समुद्री उत्पाद		
	ऐसे एककों में संसाधित किये गये मेढक तथा मेढक की टांगें जो कि आवश्यक रूप से निर्यात के प्रयोजनार्थ समुद्री उत्पाद का संसाधन करने में लगे हुए हैं।		
5.	विसटल्स	बी-11	भारत के साथ लगे हुए सीमान्त प्रादेशों को छोड़कर सभी अनुज्ञेय गन्तव्य स्थानों पर निर्यात अनुमेष होगा।
6.	जानवर का पित्त	बी-14	
	पित्ताश्मरी	बी-14	
	गोशोषन	बी-14	
7.	आलू तथा प्याज को छोड़कर ताज फल एवं तरकारियाँ	बी-15	निर्यात सभी अनुमेष होगा यदि (क) विदेशी क्रेता द्वारा प्रेषित माल की शत-प्रतिशत जहाज पर निशुल्क मूल्य के तुल्य अपरिवर्तनीय साख पत्र खोल दिया गया है। (ख) उसके मददे अग्रिम भुगतान प्राप्त किया गया है (1) अग्रिम भुगतान विशिष्ट निर्यात आदेश के मददे प्राप्त किया गया है और जहाँ प्रेषित माल के शत-प्रतिशत जहाज पर निशुल्क मूल्य के तुल्य है और (2) अग्रिम धनराशि विदेशी मुद्रा में प्राधिकृत व्यापारी के माध्यम से प्राप्त की गई है।
8.	सूखी खुम्भियाँ	बी-17	भारत के साथ लगे हुए सीमान्त प्रदेशों को छोड़कर सभी अनुज्ञेय गन्तव्य स्थानों पर निर्यात अनुमेष होगा।
9.	इलायची (छोटी)	बी-18	1. भारत के साथ लगे हुए सीमान्त प्रदेशों को छोड़कर सभी अनुज्ञेय गन्तव्य स्थानों पर निर्यात अनुमेष होगा तथा 2. विदेशी क्रेता द्वारा अपरिवर्तनीय साख-पत्र खोलने पर ही निर्यात अनुमेष होगा अथवा विदेशी क्रेता से प्राप्त अग्रिम भुगतान के मददे बशर्ते कि (1) अग्रिम भुगतान किसी विशिष्ट आदेश के मददे प्राप्त किया गया है, और (2) अग्रिम भुगतान विदेशी मुद्रा में प्राधिकृत व्यापारी के माध्यम से प्राप्त किया गया है।
10.	चूर्ण को छोड़कर किसी भी किसी आकार में, सूखी मिर्च	बी-19	1. पूर्ण पोटलदान निरक्षण तथा गुण नियन्त्रण प्रमाण पत्र 2. साख-पत्र
11.	खाद्यान्न बीज जिसमें गेहूँ के बीज भी शामिल हैं।	बी-24(5)	राष्ट्रीय बीज निगम से प्राप्त गुण प्रमाण पत्र।
12.	बागवानी के बीज जिसमें वृक्ष बीज, झाड़ी बीज एवं तरबट बीज भी शामिल हैं।	बी-24(5)	(1) निर्यात की स्वीकृति एक ऐसे अधिकारी जिसका ओहदा उप-वन संरक्षक, विभागीय वन अधिकारी से कम का नहीं है के इस सबध में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत

1	2	3	4
			करने पर दी जाएगी कि बीज कानूनी ढंग से एकत्र किए गए हैं और राज्य की जरूरत से अधिक है।
			2. बने सीमा से बाहर एकत्र किये गये बीजों का निर्यात राज्य सरकार के सम्बन्धित विभाग के निकासी प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करने पर ही अनुमेय होगा।
13.	हाइड्रोजिनेटिड आयल (वनास्पति घी)	बी-32 ¹	आयात व्यापार नियंत्रण नीति, बा०-2 भाग-2 की मद बाई 2 के अन्तर्गत इस समय तक निर्यात स्वतंत्र रूप से मान्य होगा जब तक आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंस स्वीकृत हैं।
14.	ग्राम का रम	बी-37	निर्यात मूल्य केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित मूल्य से कम नहीं है।
15.	उष्मा से सुखाई गई वर्जीनिया तम्बाकू धूप में सुखाई गई वर्जीनिया तम्बाकू धूप में सुखाई गई (नाटू कंटी) तम्बाकू, एवं धूप में सुखाई गई जूट्टी तम्बाकू	बी-42	इस संबंध में तम्बाकू बोर्ड के प्रमाण-पत्र पर जिस मूल्य पर निर्यात किया गया है वह केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम मूल्य से कम नहीं है।
16.	(1) 40% से कम तत्व वाले एल्यूमिना के साथ वाक्साइट (2) 40% तथा 50% बीच तत्व वाले एल्यूमिना के साथ वाक्साइट लेकिन 5% से अधिक सिलिका तत्व	बी-45(1) —वही—	एल्यूमिना तथा सिलिका तत्व के सम्बन्ध में मान्यता प्राप्त सरकारी विश्लेषक के प्रमाण-पत्र पर।
17.	80% से कम शुद्धता वाली जिप्सम	बी 45(6)	
18.	मैगनीसाइट	बी-45(8)	1. 9% और इससे अधिक सिलिका तत्व के साथ केलसिनाइट मैगनीसाइट का निर्यात, निर्यात निरक्षण अभिकरण द्वारा जारी किए गए उस संबंध में प्रमाण-पत्र कि केलसिनाइट मैगनीसाइट में सिलिका तत्व 9% से कम नहीं है, को प्रस्तुत करने पर ही अनुमेय होगा। 2. उस कच्चे, जले हुए बेकार केलसिनाइट मैगनीसाइट का निर्यात अनुमेय नहीं होगा जिसमें 9% से कम सिलिका है।
19.	संसाधित अभ्रक चूर्ण, फ्लैक्स, अभ्रक उत्पाद अर्थात् नकली अभ्रक, सैंडटक, सिकानाइट अथवा तैयार अभ्रक तथा सिकानाइट विद्युतीय पृथक्करण उत्पाद।	बी-46	निर्यात मूल्य केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित मूल्य से कम नहीं है।
20.	कार्बेनीकृत लिगनाइट ब्रिकेट्स (लोको)	बी-47(1)	कोल आयुक्त द्वारा आवंटन के सद्दे निर्यात केवल कलकत्ता एवं शिलांग से ही अनुमेय होगा।
21.	कृत्रिम मुष्क	बी-5 1	भारत के साथ लगे हुए सीमान्त प्रदेशों को छोड़ कर निर्यात सभी स्वीकृत गन्तव्य स्थानों को मान्य होगा। 2. इस संबंध में घोषणा-पत्र प्रस्तुत करने पर कि निर्यात की जाने वाली पण्य बहुत 'सिन्थेटिक

1	2	3	4
			कस्तूरी है और उसमें हिरण कस्तूरी की मात्रा नहीं तथा मुक्तया 'सिन्थेटिक कस्तूरी' के रूप में विहित है।
22. - - - - -	कस्तूरी की लकड़ी-का तेल	बी-53	भारत के साथ लगे हुए सीमान्त प्रदेशों के प्रतिरिक्त सभी स्वीकृत गन्तव्य स्थानों को निर्यात अनुमेष होगा।
23.	सख्त्रा का तेल	बी-54	जहाज पर निशुल्क प्रति मेट्रिक टन का मूल्य 12,000/- से कम नहीं है।
24.	8 मि० मी० से 16 मि० मी० तक अरूपक लेख जिमकी लम्बाई 120 मीटर से अधिक नहीं है, को छोड़कर मितेमा वृक्ष चित्र फिल्म।	बी-55	केवल सभी प्रवेशनियों के लिए
25.	8 मि० मी० से 16 मि० मी० तक अरूपक लेख जिमकी लम्बाई 120 मीटर से अधिक नहीं है, को छोड़कर विज्ञापन वृक्ष चित्र फिल्म।	बी-55	—वही—
26.	थोस्टर मिमक वेस्ट	बी-62(3)(बी)	
27.	दक्षिण भारतीय मूल के गन्धन रेशम के चिथड़े	बी-62(3)(ड)	1. सरकारी स्पन मिल्स, चन्नपटना (मैसूर), जगदी रोड (असम) अथवा भागलपुर (बिहार) से इस संबंध में प्रमाण-पत्र कि निर्यात किए जाने वाला माल सक्त चिथड़े से तैयार किया गया है। 2. केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा पूर्व-पोतनदान निरीक्षण प्रमाण-पत्र
28.	रेशमी चिथड़े की अन्य किस्में अर्थात् — 1. उबला हुआ रेशम कोष 2. बेसिन रिफ्यूस 3. फ्लूफ, फ्लोस 4. तकली रेशम कोष 5. नोएल तथा नोएल ड्रोपिंग्स 6. अनुसूची-1 में कहीं भी वर्णन न की गई शहतूत के रेशम की चिथड़े की अन्य सभी किस्में	बी-62(3)(ई)	केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा पूर्व-पोतनदान निरीक्षण प्रमाण-पत्र
29	निम्नलिखित हाथ द्वारा तैयार सूती रेशमी एंव धागे : (1) नाइलान टायर/रस्ती, बस्त्र] (2) (क) 850 डिनियर तथा उससे अधिक के रेयन टायर यार्न (ख) सभी डिनियर्स के रेयन टायर काई (ग) रेयन टायर फैब्रिक्स] (3) 50% या उससे अधिक संश्लिष्ट धागे सहित संश्लिष्ट मिश्रित रेशे।	बी-64(1) 64(2)(क) 64(2)(ख) 64(2)(ग) 64(3)	सिल्क तथा रेयन टैक्सटाइल निर्यात संवर्धन परिषद्, बम्बई द्वारा जारी किए गए प्राधिकरण पर ही निर्यात अनुमेष होगा।

1	2	3	4
			वस्त्र
30.	धागा, दरी के धागे से भिन्न, आयातित उन से बनाया गया	बी-66	उन और ऊनी निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा अनुमोदित की गई और उस के साथ निर्यात के लिए, पंजीकृत की गई संविदा प्रति ।
31.	कच्ची रुई—बंगाल देशी	बी-68	1. वस्त्र आयुक्त द्वारा पंजीकृत और निर्धारण प्रमाण-पत्र जारी करने के प्रति । 2. निर्यात करने के लिए चाही गई कच्ची रुई की किस्म/मात्रा के सम्बन्ध में वस्त्र आयुक्त की अपील समिति द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र
32.	कच्ची रुई—विविध रेशे : 1. असम 2. कोमिला 3. अग्नि, जल के कारण नुकसान द्वारा रंगहीन रुई बी-68 4. जोड़ो और स्वीपिंग्स 5. अन्य		1. मूल बिक्री संविदा 2. निर्यात के लिए इच्छित किस्म/मात्रा के सम्बन्ध में वस्त्र आयुक्त की अपील समिति द्वारा जारी किया गया तदर्थ प्रमाण-पत्र
33.	रुई का धागा	बी-69	1. अपने साथ पंजीकृत संविदाओं के सम्बन्ध में वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् बम्बई द्वारा जारी किए गए प्राधिकार पत्रों के प्रति 2. बर्मा, लिविया, बंगला देश, सीषोन और संयुक्त अरब गणतंत्र को निर्यातों की अनुमति सूची वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा जारी किए गए प्राधिकारपत्र के प्रति, उन देशों के द्वारा निर्धारित की कीमतों के अधीन दी जाएगी ।
34.	'इटावा स्ट्रॉप्स,' के नाम से अभिज्ञात बिस्तरों की हथकरघा पर बुनी हुई पट्टीदार चद्दरें, यू० के० को निर्यात से भिन्न	बी-70(3)	सूती वस्त्र निधि समिति से एक प्रमाणपत्र या उत्तर प्रदेश सरकार की किस्म निर्माण योजना के अन्तर्गत इस सम्बन्ध में एक प्रमाण-पत्र कि निर्यात करने के लिए इच्छित माल निर्धारित स्तर के अनुरूप है ।
35.	तेज रंग से भिन्न रंग की लुधी डिजाइन का हथकरघा का कपड़ा (ब्लीडिंग प्रोपरटीज वाले सहित) और उस से बनी हुई पोशाकें, यू० के० को निर्यात से भिन्न (क) साधारणतः 'ब्लीडिंग मद्रास' के रूप में अभिज्ञात किस्म का हथकरघा का कपड़ा (ख) ब्लीडिंग मद्रास से बनाई गई पोशाकें । (ग) ब्लीडिंग मद्रास/ब्लीडिंग मद्रास से बनी हुई पोशाकों से भिन्न किस्मे ।	बी-70(4) बी-70(5)	वस्त्र समिति द्वारा पोतलदान पूर्व निरीक्षण ।
36.	सूती विनिर्माण चाहे थान में या वस्तुओं के रूप में, पोशाकों सहित यू० के० को निर्यात, परन्तु निम्नलिखित हो छोड़कर :— (क) सूती गर्लाचे, सूती कालीन, सूती दरियां, सूती शाल, और	बी-70(5)	सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् बम्बई द्वारा या इस के अन्तरदेशीय प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा पोतलदान बिलों पर पृष्ठांकन द्वारा [आवृत्ति 'कोटो के मददे']

1	2	3	4
	(ख) हाथ/हथकरघा द्वारा बनाया गया सूती माल, निम्नलिखित माल के साथ-साथ.— 1. सेज रंग से मिश्र-रंग की लुंघी डिजाइन का हथकरघा का कपड़ा (ब्लीडिंग प्रोपरटीज वाले सहित) और इस से बनी पोशाके । 2. इटावा स्ट्राइप्स के रूप में जानी गई बिस्तरो क्री हथकरघा पर बुनी गई पट्टीदार चद्दरे और 3. हस्त निर्मित सूती नैटिंग		
37.	सूती वस्त्रों की भारतीय सूती वस्त्र समझौते की सभी 64 श्रेणियों का समुक्त राज्य अमरीका को निर्यात	बी-70(6)	1. सूती वस्त्र निर्यात संबंधन परिषद् द्वारा या इस के अन्तरदेशीय प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा पोतलदान बिलों पर पृष्ठांकन करके आवंटित कोटों के मद्दे । 2. निर्गमन प्राधिकारियों से बीसा जैसे : (1) मिल निर्मित सूती वस्त्र बनी हुई वस्तुओं और तैयार-पोशाकों के लिए सूती वस्त्र निर्यात संबंधन परिषद् बम्बई और इसके अन्तरदेशीय प्रतिनिधि । (2) तैयार पोशाकों सहित हथकरघा वस्त्र उत्पादों के लिए वस्त्र समिति । (3) "भारत" मर्चों के लिए अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड या वस्त्र समिति । 3. परिमाण सम्बन्धी प्रतिबन्धों से छूट दी गई मर्चों अर्थात् हथकरघा वस्त्रों से बनी वस्तुओं और भारत मर्चों के मामले में हथकरघा वस्त्रों, हथकरघा उत्पादों और हथकरघा पोशाकों के लिए वस्त्र समिति से प्रमाण-पत्र और भारत मर्चों के लिए वस्त्र समिति या अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड से प्रमाण-पत्र की आवश्यकता होगी ।
38.	मिल निर्मित सूती वस्त्रों और मिल निर्मित/हथकरघा निर्मित वस्त्रों से विनिर्मित उत्पादों का निर्यात जिस में आस्ट्रिया को तैयार पोशाकों का निर्यात शामिल है	बी-70(7)	1. सूती वस्त्र निर्यात संबंधन परिषद् बम्बई द्वारा या इसके अन्तरदेशीय प्रतिनिधि द्वारा पोतलदान बिल पर पृष्ठांकन करके आवंटित कोटों के मद्दे । 2. हथकरघा वस्त्र के निर्यात की अनुमति वस्त्र समिति से हथकरघा के मूल स्थान को प्रदर्शित करते हुए एक प्रमाण-पत्र के आधार पर किसी कोटा प्रतिबन्ध के बिना दी जाएगी ।
39.	पश्चिमी जर्मनी, फ्रान्स, इटली बेल्जियम, नीदरलैंड, लक्जम्बर्ग, डेन्मार्क और आयरलैंड को मिल निर्मित सूती वस्त्रों का निर्यात	बी-70(8)	सूती वस्त्र निर्यात संबंधन परिषद् बम्बई द्वारा या इस के अन्तरदेशीय प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा पोतलदान बिल पर पृष्ठांकन द्वारा आवंटित कोटों के मद्दे ।

1	2	3	4
40.	मिल निर्मित, हथकरघा निर्मित सूती ब्लाउजों, कमीजों जैकटों और बैड लिनन का स्वीडन को निर्यात	बी-70(9)	सूती वस्त्र निर्यात संबंधन परिषद बम्बई द्वारा या इस के अन्तरदेशीय प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा पोतलदान बिलों पर पृष्ठांकन द्वारा अनुमेय किए गए कोटों के मद्दे।
41.	कमीजों, ब्लाउजों और सूती बैड लिनन का नार्वे को निर्यात	बी-70(10)	1. सूती वस्त्र निर्यात संबंधन परिषद बम्बई द्वारा या इस के अन्तरदेशीय प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा पोतलदान बिलों पर पृष्ठांकन द्वारा सूती हथकरघा कमीजों और ब्लाउजों को छोड़कर, आवंटित कोटों के मद्दे। 2. सूती हथकरघा कमीज और ब्लाउज, वस्त्र समिति या इसके प्रतिनिधियों द्वारा जारी किए गए हथकरघा प्रमाण-पत्रों के मद्दे।
42.	मिल निर्मित, हथकरघा सूती बुने हुए, ब्लाउज, महिलाओं, लड़कियों और बच्चों के लिए कमीज और महिलाओं और लड़कियों के लिए ड्रेस का आस्ट्रेलिया को निर्यात	बी-70(11)	सूती वस्त्र निर्यात संबंधन परिषद बम्बई द्वारा या इस के अन्तरदेशीय प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा पोतलदान बिलों पर पृष्ठांकन द्वारा आवंटित कोटों के मद्दे।
43.	नारियल जटा और नारियल जटा उत्पाद	बी-72	निर्यात की अनुमति कोयर बोर्ड से इस सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर दी जाएगी कि जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य वाणिज्य मंत्रालय द्वारा नियत की गई निम्नतम कीमत से कम नहीं है।
44.	(1) फारसी और मोबारिक डिजाइन के हाथ से बुने हुए ऊनी कालीन 32000 गॉठें प्रति वर्ग मीटर तक	बी-73(1)	भारत के साथ सामूहिक स्थल सीमा रखने वाले देशों के अतिरिक्त सभी गन्तव्य स्थानों को निर्यात की अनुमति, निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जाएगी (1) निम्नतम कीमत 70% रुपए प्रति वर्ग मीटर जहाज पर्यन्त निशुल्क। (2) निर्यात तत्क्षण बिक्री के आधार पर होंगे।
	(2) हाथ से बुने हुए ऊनी कालीन, नमदे और मोटे वस्त्र फारसी और मोबारिक डिजाइनों के अतिरिक्त	बी-73(2)	1. आन्ध्र प्रदेश में इलूरु और बारंगल में विनिर्मित कालीन और नमदों के निर्यात की अनुमति, भारत के सामूहिक स्थल सीमा रखने वाले देशों के अतिरिक्त सभी गन्तव्य स्थानों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जाएगी :- (1) निम्नतम कीमत 35/- रुपए प्रति वर्ग मीटर जहाज पर्यन्त निशुल्क (2) यदि आन्ध्र प्रदेश के उद्योग निदेशक से इस सम्बन्ध में एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाता है कि कालीन इलूरु बारंगल में विनिर्मित है। (3) निर्यात तत्क्षण बिक्री के आधार पर होंगे।

1	2	3	4
			2. कालीनों और नमदों के निर्यात की अनुमति, भारत के साथ सामूहिक स्थल सीमा रखने वाले देशों के अतिरिक्त, सभी गन्तव्य स्थानों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जाएगी :- (1) निम्नतम कीमत 50 - रुपए प्रति वर्ग मीटर जहाज पर्यन्त निशुल्क । (2) निर्यात तत्क्षण बिक्री के आधार पर होंगे ।
45.	रेशमी कालीन और मिनेटिक मिश्रित और सम्पूक्त रेशों से बने कालीन बी-74		भारत के साथ सामूहिक स्थल सीमा वाले देशों के अतिरिक्त निर्यात की अनुमति सभी अनुमेय गन्तव्य स्थानों को दी जाएगी ।
46.	सिल्वर साल्ट, सिल्वर रासायनिक और योगिक जिन में सिल्वर की मात्रा 50 प्रतिशत से अधिक हो । (2) पूर्णतः या मुख्यतः सिल्वर के निर्माण और उत्पाद जिनमें 50 % से अधिक सिल्वर की मात्रा हो, सिल्वर जरी के माल को छोड़कर । बी-77(2) बी-77(3)		(1) सीमा शुल्क विभाग द्वारा निर्यात कीमत की स्वीकृति । (2) मालपरेमण के आधार पर निर्यात की अनुमति नहीं दी जाएगी ।
47.	सिल्वर के सिक्के बी-78		1. 1950 से पहले जारी किए गए सिल्वर के सिक्कों के मामले में :- (क) सिल्वर की मात्रा से निर्यात का मूल्य कम न हो । (ख) भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति प्राप्त कर ली हो । (ग) यदि सिक्के 100 साल से अधिक पुराने हों तो भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण से अनुमति प्राप्त कर ली गई हो । 2. 1950 से बाद में जारी किए गए सिल्वर के सिक्कों के मामले में :- (क) 10 रुपए, 20 रुपए और 50 रुपए के सिक्कों के लिए प्रति सिक्का जहाज पर्यन्त निशुल्क न्यूनतम निर्यात कीमत क्रमशः 15 रुपए, 25 रुपए, और 60 रुपए हो । (ख) प्रूफ सिक्कों (या प्रूफ सेट) के निर्यात की अनुमति केवल भारत सरकार टक्साल बम्बई द्वारा दी जाएगी ।
48.	मरकत मणि की रत्न किस्म बी-79		हाक पारसाल वायुयान द्वारा, अधिकतम 10 कि० ग्रा० तक ।
49.	निकल कैडमियम बैटरी स्कै। बी-86(1)		मान्यता प्राप्त सरकारी विश्लेषक से इस सम्बन्ध में एक प्रमाणपत्र । स्क्रेप इस मद के अन्तर्गत दिए गए विशिष्टीकरणों के अनुरूप है ।

1	2	3	4
50.	मोटर व्हीकल अर्थात् सारी, मोटर मोमनिबर्से, वैन और उस के लिए नीचे का ढाँचा	बी-89(1)	
51.	प्रायातित मोटर व्हीकल के पुर्जे	बी-89(2)	बिक्री के बाद की सेवा के अंश के रूप में मूल उपस्कर के नियतिका द्वारा ।
52.	ट्रक	बी-89(3)	भारत के साथ सामूहिक स्थल सीमा वाले देशों के अतिरिक्त सभी अनुमेय गन्तव्य स्थानों को निर्यात की अनुमति दी जाएगी
53.	ट्रेक्टर	बी-89(4)	
54.	वृहत साइज के टायर और ट्यूब	बी-89(5)	
55.	मुंह भरनी बन्दूक	बी-91 ¹	1 अस्त्र-शस्त्र अधिनियम और नियमों के अन्तर्गत लाइसेंस 2 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से इस सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र कि निर्यात किए जाने वाले अस्त्र-शस्त्र पुरावशेष और या केवल नमूने नहीं हैं ।

बुला सामान्य लाइसेंस-4

कालम 4 में उल्लिखित सारणीबद्ध करने वाले अभिकरण, उन देशों को छोड़कर जिनको हाल में लागू किसी भी कानून द्वारा निर्यात प्रतिबंधित है, किसी भी देश को नीचे लिखे माल का निर्यात कर सकते हैं :—

क्रम सं०	मद	अनुसूची 1 के भाग 'बी' के अनुसार क्रम सं०	सारणीबद्ध करने वाले अभिकरण
1	2	3	4
1	प्राउन, शार्कफिन, बीच-डी-मेरी, बम्बई डक्स और अन्य सूखी सेल मछली को छोड़कर, सूखी मछली	बी-8	राज्य व्यापार निगम
2	बासमती चावल	बी-20	राज्य व्यापार निगम
3	चमड़ा लाख, लाख दाना, बटन लाख, तामड़ा लाख और लाख के सभी रूप किन्तु भाग 'ए' को मद संख्या में उल्लिखित को छोड़कर	बी-20	राज्य व्यापार निगम .
4	कथ	बी-28	राज्य व्यापार निगम
5	चीनी	बी-33	—वही—
6	सभी प्रकार के लवण	बी-43	वही—
7	सीमेन्ट	बी-44	(i) —वही— (ii) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट (इंडिया) लि० उनके द्वारा विदेशों में ली गई केवल विनिर्माण परि-योजनाओं के उपयोग के लिए
8	लोहा अयस्क (गोवा मूल से भिन्न)	बी-45 (ii)	खनिज तथा धातु व्यापार निगम
9	गोवा मूल की 3 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक की मैंगनीज भाद्रा के साथ विधातु (काला खनिज लोहा)	बी-45(ii)	—वही—

1	2	3	4
10	मैंगनीज अयस्क	बी-45(i)	-वही-
11	बाराइटज (ढेलों में और खूर्ण)	बी-45'(iii)	-वही-
12	अभ्रक जिसमें सभी वर्ग के अभ्रक स्पिलिटिंग और सभी किस्म के अभ्रक शामिल हैं, किन्तु विनिर्मित और गठे हुए अभ्रक (डार्कट कन्वेंसर फिल्मस, स्पेसर्स, त्रिनेस बशर्स आदि सहित) मिकेनाइट रिकन्सिट्यूटेड अभ्रक, अभ्रक खूर्ण और अभ्रक कागज को छोड़कर	बी-46	अभ्रक व्यापार निगम, भारत प्रा० लि०
13	कोयला और लकड़ी का कोयला	बी-47	खनिज एवं धातु व्यापार निगम
14	बेंजीन	बी-49(1)	राज्य व्यापार निगम
15	टोल्यूईन	बी-49(5)	-वही-
16	नींद्र धास तेल	बी-52	-वही-
17	एक्सपोज्ड सिनेमाटोग्राफिक फिल्मस (फीचर फिल्म)	बी-55	भारतीय चित्र विनिर्माण निगम
18	प्राकृतिक रबर	बी-58	राज्य व्यापार निगम
19	बकरी के बालों की पट्टियाँ	बी-67	भारत का हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम लि० नई दिल्ली
20	केडी को छोड़कर, कच्चा पटसन, मेस्ता एवं पटसन कटिम्स	बी-71	भारत का पटसन निगम
21	सलाई से बुने हुए वस्त्र (ऊनी और मिश्रित)	बी-75	(1) भारत का हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम लि० नई दिल्ली (2) राज्य व्यापार निगम (जैतुनी धरे रंग के बुने हुए वस्त्रों के निर्यात के लिए)
22	सभी प्रकार के जूते	बी-76	राज्य व्यापार निगम
23	लोहा तथा इस्पात माल निम्नलिखित —		
	(1) कच्चा लोहा	बी० 80	सेल इन्टरनेशनल लि०
	(2) बिलेट्स और छड़		
	(3) सिल्लीप्रों एवं स्लेब		
	(4) निर्माण सामग्री		
	(5) एच०आर० कुण्डल (कायल, प्लेटें, शीटें)		
	(6) सी आर कुण्डल		
	(7) जी०पी०/जी०सी० शीटें		
	(8) त्रिभुज शीटें		
	(9) रेलवे के सामान		
	(10) एम०एस० तार (लेपित अलेपित)/ मिडियम एच०सी० तार, स्पिंग इस्पात तार को छोड़कर		

1	2	3	4
24	फेरो मिश्रधतुः		
	(i) फेरो मँगनीज (0.05 प्रतिशत कार्बन से कम मात्रा की फेरो मँगनीज को छोड़कर) सिलिको मँगनीज;	बी-81	सेल इन्टरनेशनल लि०
	(ii) फेरो मँगनीज स्लेग		
	(iii) फेरो क्रोम (0.03 प्रतिशत कार्बन और नाइट्रोजन बियरिंग से कम मात्रा वाले फेरो क्रोम को छोड़कर) सिलिको क्रोम, और	बी-8	सेल इन्टरनेशनल लि०
	(iv) फेरो सिलिकोन		
25	फेरस स्क्रैप		
	(1) मिल स्केल स्क्रैप	बी०-83	मेटल स्क्रैप व्यापार लि०
	(2) सी०आई० स्केल स्क्रैप		
	(3) त्यक्त सी० आई० सिलिलियो का मोल्ड, बोटम फ्लैट स्क्रैप		
	(4) त्यक्त डिस्का डिडसी०ग्र ई० चिल्लड रेल स्क्रैप		
	(5) औजार और मिश्र धातु इस्पात स्क्रैप (जगावरोधी इस्पात स्क्रैप को छोड़कर)		
	(6) इस्पात स्केल स्क्रैप		
	(7) सी०आई० बोरिंग		
	(8) बिना कलई किए हुए बन्डल		
	(9) त्यक्त इस्पात सिलिलियो		
	(10) कच्चे लोहे के टुकड़े स्क्रैप		
26	रेल के डिब्बे	बी-83	प्रोजेक्टस एन्ड हकिवर्मेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लि० नई दिल्ली ।

[सं 1/77-ई० टा० सी०]

ए० एस० गिल,
मुख्य निबन्धक, आयात नियति ।